टूल किट दस्तावेज़

(यह राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकायों के नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित उनकी अपनी नियमावली तैयार करने के लिए उपयोग हेतु एक नमूना दस्तावेज़ है)

कंपनी अधिनियम, 2013

(शेयरों के आधार पर कंपनी लिमिटेड)

(कंपनी का नाम लिखें _____)

की

नियमावली

तालिका एफ लागू नहीं होगी

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - I की "तालिका एफ" में निहित नियम कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे, सिवाय इसके कि उन्हें एक ही रूप में बार - बार या स्पष्ट रूप से इन अनुच्छेदों में या उक्त अधिनियम द्वारा लागू किया गया हो।

(2) कंपनी के प्रबंधन और इसके सिवाय सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा अवलोकन किए जाने के लिए उक्त विनियम समय-समय पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सांविधिक शक्तियों के अनुसरण में किए गए विलोपन, परिवर्तन या परिवर्धन के अधीन होंगे।

1. व्याख्या

उक्त अनुच्छेदों की व्याख्या में, निम्नलिखित अभिव्यक्ति के निम्नलिखित अर्थ होंगे, जब तक विषय या संदर्भ के प्रतिकूल या असंगत न हो।

क. **"दी कंपनी"** या **"यह कंपनी"** से अभिप्राय है _____

ख. **"अधिनियम"** से अभिप्राय है, कंपनी अधिनियम, 2013 और समय-समय पर किसी सांविधिक संशोधन अथवा उसके पुन - र्अधिनियम को शामिल किया जाएगा।

ग. **"लागू कानून"** से अभिप्राय है, कोई भी संविधि, क़ानून, विनियम, अध्यादेश, नियम, निर्णय, आदेश, डिक्री, उपविधि, किसी भी सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन, निर्देश, दिशा-निर्देश, नीति, आवश्यकता, अथवा अन्य सरकारी प्रतिबंध अथवा इसी प्रकार का कोई निर्णय, अथवा द्वारा संकल्पित, या संबन्धित विषय पर अधिकार रखने वाले किसी सक्षम प्राधिकरण, चाहे प्रभावी हो अथवा उसके बाद किसी भी समय, द्वारा किसी भी पूर्वगामी नियम के अधीन कोई व्याख्या अथवा प्रशासन;

घ. **"नियम"** अथवा **"नियमावली"** से अभिप्राय है, समय-समय पर संशोधित कंपनी की उक्त नियमावली;

ङ. **"लेखा परीक्षक"** से अभिप्राय है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन नियुक्त लेखा - परीक्षक;

च. **"निदेशक मण्डल"** या **"बोर्ड"** से अभिप्राय है, कंपनी के निदेशक मंडल का सामूहिक निकाय।

छ. **"मंडल बैठक"** से अभिप्राय है, बोर्ड की कोई बैठक जिसमें गणपूर्ति हो;

ज. **"कार्यकारी दिवस"** से अभिप्राय है, ऐसा कोई दिन, जब राज्य / केंद्र शासित प्रदेश **("राज्य का नाम लिखें")** में बैंक कार्य के लिए खुले हों;

झ. **केंद्रीय सरकार से अभिप्राय है, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार**

ञ. **"अध्यक्ष"** से अभिप्राय है, मण्डल के अध्यक्ष जिन्हें उक्त नियमावली के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया हैं

ट. **"मुख्य कार्यकारी अधिकारी"** से अभिप्राय है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (18) के अधीन परिभाषित मुख्य अधिकारी।

ठ. **"परिपत्र संकल्प"** से अभिप्राय है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 175 के अभिप्राय के अंतर्गत संकल्प;

ड. **"निदेशक"** से अभिप्राय है, कंपनी के निदेशक मण्डल में नियुक्त निदेशक।

ढ. **"कर्मचारी"** से अभिप्राय है, कंपनी का कर्मचारी।

ण. **"कर्मचारी स्टॉक विकल्प"** से अभिप्राय है, कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित कर्मचारी स्टॉक विकल्प।

त. **"असाधारण आम बैठक"** से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 100 के उपबंधों के अनुरूप सम्पन्न सदस्यों की कोई असाधारण बैठक;

थ. **"वित्तीय वर्ष"** से अभिप्राय है, इस अधिनियम के धारा 2 (45) के उपबंधों के अनुसार इसको समुनदेशित।

द. **"आम बैठक"** से अभिप्राय है, सदस्यों की कोई बैठक;

ध. **"सरकारी प्राधिकरण" अथवा "नियामक प्राधिकरण"** से अभिप्राय है, कोई न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थ, सांविधिक या नियामक प्राधिकरण, एजेंसी, कमीशन, या भारत या किसी अन्य देश के अधिकारी या अन्य साधन, जैसा भी लागू हो;

न. **"अनुदान"** से अभिप्राय है, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंपनी को दी गई उपयोग में लायी जाने वाली निधियां।

ऩ. **"लिखित में"** या **"लिखा हुआ"** में शामिल है, छपाई, लिथोग्राफी और दर्शाने के अन्य ढंग या शब्दों को एक दृश्यमान रूप में पुन: लिखना।

प. **"स्वतंत्र निदेशक"** से अभिप्राय है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (6) के अधीन परिभाषित स्वतंत्र निदेशक।

फ. **"हानियाँ"** से अभिप्राय है, कोई और सभी क्षतियां, दंड, शुल्क, शास्तियां, कमियाँ, हानियाँ और खर्चे (बगैर किसी सीमा के ब्याज, न्यायालय लागत, अधिवक्ताओं, लेखाकारों और अन्य विशेषज्ञों को दिये जाने वाले शुल्क या मुकदमों या अन्य कार्यवाहियों या कोई अन्य दावे, चूक या निधारण से संबंधित अन्य खर्चे);

ब. **"सदस्य"** से अभिप्राय है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (55) के अंतर्गत कोई सदस्य;

भ. **"नियमावली"** से अभिप्राय है, समय-समय पर संशोधित कंपनी की नियमावली;

म. **" माह"** से अभिप्राय है, कैलेण्डर माह;

य. **"नगर पालिका अधिनियम"** से अभिप्राय है, विधिक ढांचा जो नगर प्रशासन और सेवा सुपुर्दगी को विनियंत्रित करता है;

र. **"नयी प्रतिभूतियों"** से अभिप्राय होगा, जैसा कि उक्त दस्तावेजों में वर्णन किया गया है;

ऱ. **"कार्यालय"** से अभिप्राय है, कंपनी का वर्तमान पंजीकृत कार्यालय;

ल. **"साधारण संकल्प"** और **"विशेष संकल्प"** से अभिप्राय होगा, इस अधिनियम की धारा 114 द्वारा सौंपे गए कार्य;

ळ. कंपनी की शेयर पूंजी के संबंध में **"प्रदत्त पूंजी"** से अभिप्राय है, शेयरों के संबंध में प्रदत्त के रूप में जमा राशि, जो स्वीकार, जारी और आवंटित की गई है;

ऴ. **"प्रॉक्सी (प्रतिनिधि)"** एक साधन है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को मतदान होने पर एक आम बैठक में एक सदस्य के लिए वोट करने के लिए अधिकृत किया गया है;

व. **"गणपूर्ति"** से अभिप्राय है, अधिनियम में निर्धारित और यहाँ प्रदान किए गए अनुसार किसी बोर्ड की समिति की बैठक में गणपूर्ति, या किसी आम बैठक के लिए गणपूर्ति;

श. **"कंपनी पंजीयक"** से अभिप्राय है, कंपनी पंजीयक, जिनके क्षेत्राधिकार में वर्तमान में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है;

ष. **"सदस्य रजिस्टर"** से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन रखा जाने वाला सदस्यों का रजिस्टर, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन निक्षेपागार द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर और हितकारी स्वामित्व सूची; जे जे।

स. **"सील"** से अभिप्राय है, कंपनी की सामान्य मुहर;

ह. **"सेबी'** से अभिप्राय है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड;

कक. **"सचिव"** से अभिप्राय है, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (24) में परिभाषित किया गया है;

खख. **"प्रतिभूति"** से अभिप्राय है, शेयर या कोई वारंट, ऋण-पत्र, अधिमान शेयर या ऋण साधन या अन्य प्रतिभूतियां जो शेयर या किसी इक्विटी लिंक्ड प्रतिभूतियों या विकल्प या अधिकार, जो धारक को शेयरों को स्वीकार या अधिग्रहण करने के पात्र बनाते हैं, में परिवर्तनीय या विनिमेय हैं, और इसमें हाइब्रिडस भी शामिल हैं;

गग. **"शेयर्स"** या **"एक शेयर"** से अभिप्राय है, कंपनी की पूंजी में शेयर, चाहे वे मूर्त रूप में धारित किए गए हों या प्रतिमोच्य रूप में और इसमें स्टॉक भी शामिल है, सिवाय इसके जहां स्टॉक और शेयर के बीच का अंतर अभिव्यक्त या अस्पष्ट है;

घघ. **"राज्य सरकार"** से अभिप्राय है _____ (राज्य का नाम लिखें) सरकार;

ङङ. **"संघ क्षेत्र" (यूटी)** से अभिप्राय है _____ (संघ क्षेत्र का नाम लिखें) संघ क्षेत्र;

चच. **"शहरी स्थानीय निकाय"** से अभिप्राय है _____ (नगर परिषद का नाम लिखें) का / की नगर निगम / नगर परिषद।

उक्त अनुच्छेदों में प्रयोग किए गए हाशिए की टिप्पणियाँ, इसके गठन या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगी। जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो, उक्त अनुच्छेदों में निहित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में दिया गया है। स्त्रीलिंग शब्द का वही आशय होगा जो पुल्लिंग शब्द का है। केवल एक वचन शब्दों में बहुवचन और विपरीत शब्द का आशय भी निहित है।

2. कंपनी के मुख्य कार्य और जिम्मेदारियाँ

कंपनी स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना बनाएगी, कार्यान्वयन, प्रबंधन और प्रचालन करेगी। कंपनी के मुख्य कार्यों और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i) परियोजनाओं का अनुमोदन और स्वीकृति, इसमें उनका तकनीकी मूल्यांकन भी शामिल है।

ii) सम्पूर्ण प्रचालन स्वतन्त्रता के साथ स्मार्ट सिटी प्रस्ताव का निष्पादन।

iii) स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए शहरी विकास मंत्रालय / अन्य मंत्रालयों / भारत सरकार के विभागों / राज्य सरकार के नियमों और विनियमों, स्थानीय क़ानूनों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यवाही करना।

iv) समय - सीमा के अंदर संसाधनों को जुटाना और संसाधनों को जुटाने के लिए आवश्यक उपाय करना।

v) अन्य पक्ष समीक्षा और मॉनिटरिंग अभिकरण रिपोर्ट को अनुमोदित और कार्रवाई करना।

vi) क्षमता निर्माण गतिविधियों की निगरानी।

vii) शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों की अंतर - संबद्धता का विकास और लाभ उठाना।

viii) निर्धारित समय - सीमा के अनुसार परियोजनाओं को समय से पूरा करना।

ix) बजट, परियोजनाओं के कार्यान्वयन, स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) तैयार करना और अन्य मिशन / योजनाओं और विभिन्न मंत्रालयों / विभागों की गतिविधियों के साथ समन्वय स्थापित करने सहित मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करना।

x) गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी मामलों की निगरानी और समीक्षा और उनसे उत्पन्न मुद्दों पर कार्रवाई करना।

xi) संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों को शामिल करना और विदेशी कंपनियों सहित सार्वजनिक - निजी भागीदारी में शामिल होना, जैसा कि स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आवश्यक हो सकता है।

xii) विदेशी फार्मों के साथ - साथ भारतीय फार्मों के साथ अनुबंध, भागीदारी और सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में शामिल होना, जैसा कि स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आवश्यक हो सकता है।

xiii) शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा अधिकृत प्रयोगकर्ता प्रभार निर्धारित और संग्रह करना।

xiv) शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा अधिकृत अनुसार कर, प्रभार आदि का संग्रहण।

xv) स्मार्ट सिटी मिशन के क्षेत्राधिकारी में केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य।

3. प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग

कंपनी राज्य सरकार और स्थानीय शहरी निकाय द्वारा नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रदत्त सीमा की शर्तों के आधार पर प्रत्यायोजित निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी;

i) स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के संबंध में नगर पालिका निकाय के अधिकार और दायित्व;

ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नगरपालिका अधिनियम / सरकारी नियमों के अधीन शहरी स्थानीय निकाय के पास निर्णय लेने की शक्तियाँ;

iii) कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा शहरी विकास विभाग / स्थानीय स्वः शासन विभाग / नगर पालिका प्रशासन विभाग के पास अनुमोदन या निर्णय लेने की शक्तियां।

4. शेयर पूंजी

4.1 अधिकृत शेयर पूंजी

क) कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी उतनी राशि तक होगी जितना कि कंपनी की नियमावली के खंड एक्स, एक्स, उसमें संशोधन सहित यदि कोई है, में उल्लिखित है।

ख) कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी रु. _____ होगी।

ग) अधिकृत शेयर पूंजी को उससे संलग्न किसी भी अधिमान्य अधिकार, विशेषाधिकार या शर्तों के साथ जोड़ते हुए कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें इस कारण और इस विषय में उस समय के लिए लागू कानूनी उपबंधों के अनुसार बदलाव, पुनः वर्गीकरण या बढ़ोतरी की जा सकती है।

घ) राज्य / संघ क्षेत्र और स्थानीय शहरी निकाय इक्विटी शेयरधारिता के बराबर अनुपात में योगदान देंगे और उनकी संयुक्त शेयरधारिता हमेशा कंपनी की कुल इक्विटी से अधिक होगी।

4.2 अधिमान्य (प्रेफ्रेन्शल) शेयर जारी करने की शक्ति

कंपनी को इस अधिनियम के उपबंधों और इस प्रकार के मामले को प्राधिकृत करने हेतु कोई विशेष संकल्प की शर्तों के आधार पर अधिमान शेयर्स जारी करने की शक्ति होगी, जो मोचन (रिडेम्पेशन) और रूपान्तरण, यदि कोई है, की पद्धति, नियम और शर्तें निर्धारित करेगी।

4.3 नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए शेयर जारी करना

उक्त अनुच्छेदों और अधिनियम के उपबंधों की शर्तों के आधार पर, बोर्ड भुगतान के रूप में या प्रतिफल के लिए या आंशिक भुगतान के लिए या खरीद के आंशिक प्रतिफल के लिए या किसी संपत्ति के अधिग्रहण या इसके कार्यों के संचालन हेतु कंपनी को दी गई सेवाओं के लिए कंपनी की पूंजी में शेयर जारी और आवंटित कर सकता है और इस प्रकार के शेयर उसके आवंटियों से कंपनी को देय ऋण और वसूली योग्य हो जाएंगे और तदनुसार उनके द्वारा भुगतान किया जाएगा।

4.4 खरीदे न जा सकने वाले कंपनी के शेयर

उक्त अनुच्छेदों में निहित किसी बात के होते हुए भी लेकिन धारा 67 से 70 तक के उपबंधों और अधिनियम के किन्ही अन्य उपबंधों या उस समय के लिए लागू किसी अन्य कानून की शर्तों के आधार पर, कंपनी इस प्रकार के शेयरों की खरीद के लिए अपने शेयरों या प्रतिभूतियों की खरीद कर सकती है या ऋण दे सकती है।

4.5 शेयरों को जारी करना और उनका आवंटन

उपरोक्त को छोड़कर और उक्त दस्तावेजों के अधीन, शेयर, चाहे मूल पूंजी का भाग हों या कंपनी की कोई बढ़ी हुई पूंजी हो, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे नियम और शर्तों पर और या किसी लाभ या सममूल्य पर और ऐसे समय में जब निदेशक मण्डल उचित समझे जारी और आवंटित किए जाएंगे, लेकिन इस अधिनियम की शर्तों के आधार पर, बशर्ते कि शेयरों को आमंत्रित करने का विकल्प या अधिकार कंपनी की आम बैठक की स्वीकृति के बगैर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा।

4.6 विधिवत रूप से भुगतान करने के लिए शेयरों पर मांग मुद्रा

यदि, किसी भी शेयर के आवंटन की शर्तों से, राशि के पूर्ण या आंशिक भाग या उसके जारी मूल्य का भुगतान आमंत्रण द्वारा किया जाएगा, इस प्रकार की प्रत्येक किस्त, जब देय होगी, का भुगतान उन व्यक्तियों द्वारा कंपनी को किया जाएगा, जो उस समय के लिए और समय-समय पर शेयर के पंजीकृत धारक होंगे।

4.7 संयुक्त-धारकों की देयताएँ

शेयर की संयुक्त धारक, अलग - अलग और संयुक्त रूप से, इस प्रकार के शेयरों के संबंध में सभी किस्तों और देय राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.8 शेयरों को उत्तरोत्तर क्रमांकित किया जाएगा और किस भी शेयर को उप-विभाजित नहीं किया जाएगा।

शेयरों को उनके विभिन्न मूल्यवर्गों के अनुसार उत्तरोत्तर क्रमांकित किया जाएगा, और यहां उल्लिखित ढंग के अलावा, किसी भी शेयर को उप - विभाजित नहीं किया जाएगा।

4.9 शेयरों की स्वीकृति

कंपनी में शेयरों के लिए आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी आवेदन, उसमें किसी शेयर के आवंटन के बाद, उक्त दस्तावेजों के अर्थ के अधीन शेयरों की स्वीकृति मानी जाएगी; और प्रत्येक व्यक्ति जो, इस प्रकार या अन्यथा, कोई शेयर स्वीकार करता है और जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, उक्त दस्तावेजों के उद्देश्य के लिए के सदस्य होगा।

4.10 सदस्यों की देयता

प्रत्येक सदस्य या उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक अपने शेयर या शेयरों में वर्णित पूंजी के हिस्से का कंपनी को भुगतान करेगा जो, इस पर कुछ समय के लिए भुगतान-सहित रहा है, ऐसे दस्तावेजों में, ऐसे समय या अवधि में और ऐसे ढंग से, जैसा कि निदेशक मण्डल,समय-समय पर, आवश्यक या उस पर भुगतान के लिए निर्धारित करेगा।

4.11 अमान्यता न्यास-प्राप्त

सक्षम न्यायालय के आदेश या अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी आदेश को छोड़कर, किसी भी विश्वास, अभिव्यक्त, निहित या रचनात्मक का कोई नोटिस सदस्यों या कंपनी के ऋण-पत्र धारकों के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाएगा।

5. निधियों की उगाही और उपयोगिता

(i) कंपनी विधि द्वारा दी गई अनुमति की सीमा तक अतिरिक्त वित्त की उगाही कर सकती है लेकिन यह निम्नलिखित साधनों तक ही सीमित नहीं होगा (क) ऋण और अनुदान, (ख) जमा राशियों द्वारा; (ग) उपयोगकर्ता प्रभार, कर, अधिभार (घ) राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। इस प्रकार की अतिरिक्त निधियों का उपयोग संबंधित सरकारों द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर कंपनी द्वारा ऐसे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जैसा कि बोर्ड उचित समझे।

(ii) केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को प्रदत्त निधियां अनुदानों के रूप में होंगी। केंद्र सरकार द्वारा आबद्ध अनुदान ("टाइड ग्रांट") के रूप में दी गई उक्त निधियों को एक अनुदान निधि में रखा जाएगा। अनुदान निधि का उपयोग मिशन विवरण में दिये गए उद्देश्यों के लिए और दिशानिर्देशों तथा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर किया जाएगा।

(iii) स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबी) राज्य सरकार के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर भारत सरकार के अनुदान को कंपनी में स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबी) की इक्विटी योगदान के रूप में उपयोग के लिए अनुरोध कर सकता है।

क. भारत सरकार ने अपनी निधियों से एसपीवी को पर्याप्त योगदान दिया है।

ख. भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त प्रारंभिक अनुदानों, जो पहले ही जारी कर दिए गए हैं, तक ही सीमित होगा। क्योंकि स्मार्ट सिटी अनुदानों के भविष्य की किस्तें कार्यनिष्पादन के आधार पर है, और उनकी गारंटी नहीं दी जा सकती, स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबी) को अपने इक्विटी योगदान को पूरा करने के लिए भविष्य की किस्तों को चिन्हित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग. भारत सरकार के अनुदानों को इक्विटी योगदान के रूप में उपयोग करने पर मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार और स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबी) की सापेक्षिक शेयरधारिता में परिवर्तन नहीं होगा।

घ. स्मार्ट सिटी को भारत सरकार का योगदान पूरी तरह से अनुदान के रूप में है और स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबी) उक्त निधियों को कंपनी द्वारा अपनी इक्विटी योगदान के रूप में उपयोग करने के लिए स्व:विवेक का प्रयोग कर रहा है।

6. शेयर प्रमाणपत्र

6.1 प्रमाणपत्र - किस प्रकार जारी किए जाने हैं

शेयरों के स्वामित्व प्रमाण पत्र कंपनी की मुहर के अधीन जारी किए जाएंगे और उसकी ओर से बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे। शेयर आवंटित करने के बाद दो महीने के अंदर कंपनी {कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 56 (4) (बी) आवंटित शेयरों के प्रमाणपत्रों की सुपुर्दगी पूरी करेगी। निदेशक किसी मशीनी उपकरण या अन्य यांत्रिक साधनों, जैसे कि धातु या लिथोग्राफी में उत्कीर्णन, द्वारा अपने हस्ताक्षर चिपकाकर शेयर प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, शेयरों के स्वामित्व प्रमाणपत्र निष्पादित किए जा सकते हैं और अधिनियम के ऐसे अन्य संशोधनों या उसके अधीन निर्मित नियमों, जो वर्तमान और समय-समय पर लागू हों, के अनुसार जारी किए जा सकते हैं।

6.2 प्रमाणपत्र के लिए सदस्य के अधिकार

प्रत्येक सदस्य अपने नाम से पंजीकृत सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र हेतु, निशुल्क, पात्र होंगे। और जारी प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र का विवरण उस व्यक्ति के नाम के सामने जारी करने के तारीख का उल्लेख करते हुए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिसको ये जारी किए गए हैं। शेयरों के प्रत्येक प्रमाणपत्र पर शेयरों की निर्दिष्ट संख्या और जिस संबंध में ये जारी किए गए हैं उनकी संख्या / संख्याओं और उनके लिए भुगतान की गई राशि का उल्लेख किया जाएगा। प्रत्येक अतिरिक्त प्रमाणपत्र के लिए, निदेशक कोई शुल्क प्रभारित करने, जो एक रुपये से अधिक नहीं होगा, के पात्र होंगे, लेकिन बाध्य नहीं होंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 56 के उपबंधों का पालन

करेंगे।

6.3 आंशिक प्रमाणपत्र

कंपनी ऐसे आंशिक प्रमाणपत्र जारी कर सकती है जैसा कि निदेशक मण्डल कंपनी के किसी शेयर के संबंध में अनुमोदित करता है, ऐसे नियमों और शर्तों पर जैसा कि निदेशक मण्डल उचित समझे, ऐसी अवधि के लिए जिसके अंदर आंशिक प्रमाणपत्र को शेयर प्रमाणपत्रों में बदला जाएगा।

6.4 विरूपित होने, खो जाने या नष्ट होने पर नया प्रमाण-पत्र जारी करना

(i) यदि कोई प्रमाणपत्र घिस जाता है या विरूपित हो जाता है या फट जाता है या अन्यथा क्षत - विक्षत हो जाता है या स्थानांतरण के पृष्ठांकन हेतु उसके पिछली तरफ और जगह नहीं बची है तो ऐसे स्थिति में निदेशक मंडल को उसे प्रस्तुत करने पर वे उसे निरस्त करने का आदेश दे सकते हैं और उसके बदले एक नया प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं; और यदि कोई प्रमाणपत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो निदेशक मण्डल की संतुष्टि पर उसके प्रमाण के आधार पर और ऐसी क्षतिपूर्ति दिये जाने पर जैसा कि बोर्ड उचित समझे और कंपनी द्वारा किए गए फुटकर खर्च के भुगतान पर और ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन द्वारा जैसा कि बोर्ड उचित समझे, उसके बदले एक नया प्रमाणपत्र उस पक्ष को दिया जाएगा जो इस प्रकार खोए गए या नष्ट हुए प्रमाणपत्र के लिए पात्र है। इस प्रकार की राशि, जो दो रुपये से अधिक नहीं होगी, जैसा कि निदेशक मण्डल समय-समय पर निर्धारित कर सकता है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी प्रत्येक प्रमाणपत्र के लिए कंपनी को भुगतान की जाएगी, बशर्ते कि पुराने, फटे हुए या घिसे हुए या जहां पर हस्तांतरण के लिए रिकॉर्ड किया जाने वाले पृष्ठों का पिछला भाग पूरी तरह से उपयोग में लाया जा चुका है, प्रमाणपत्रों के स्थान पर नए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जब इसके अनुसरण में नया प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, तब उसके ऊपर और उससे संबंधित ढूंठ (स्टब) या प्रतिपर्ण (काउंटर फाइल) पर इसका उल्लेख किया जाएगा कि यह "प्रमाणपत्र संख्या _ _____के बदले दूसरी प्रति जारी की गई है"। शेयर प्रमाणपत्र के सामने वाले हिस्से पर "डुप्लीकेट' शब्द की मुहर लगाई जाएगी या बड़े अक्षरों में छेद (पंच) किया जाएगा। जहां इस अनुच्छेद के अनुसरण में नया प्रमाणपत्र जारी किया गया है, इस प्रकार के सभी

शेयरों का विवरण नवीनीकृत और डुप्लीकेट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उस व्यक्ति के नाम के सामने उसका उल्लेख किया जाएगा, जिसको प्रमाणपत्र जारी किया गया है, शेयर प्रमाणपत्र की संख्या और जारी करने की तारीख जिसके बदले नया प्रमाणपत्र जारी किया गया है और सदस्यों के रजिस्टर में आवश्यक बदलाव का उल्लेख करते हुए "टिप्पणी' के कॉलम में उपयुक्त प्रति संदर्भ का उल्लेख किया जाएगा।

(ii) शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी खाली प्रपत्रों की छपाई करवाई जाएगी और छपाई केवल बोर्ड के संकल्प के प्राधिकार पर ही की जाएगी। खाली प्रपत्रों पर क्रमानुगत रूप से मशीन द्वारा संख्यांकित किए जाएगा और प्रपत्र तथा इस प्रकार की छपाई से संबधित ब्लॉक नक्काशी, प्रतिकृति और रंग सचिव या ऐसे व्यक्ति जिसे बोर्ड इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है, की सुरक्षा में रखे जाएंगे; और सचिव या उपरोक्त कोई व्यक्ति बोर्ड को उक्त प्रपत्रों का लेखा - जोखा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(iii) उस समय के लिए कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या, यदि कंपनी का कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं है, कंपनी का प्रत्येक निदेशक अनुच्छेद 4 और 6 में संदर्भित शेयर प्रमाणपत्र के खाली प्रपत्रों को छोड़कर शेयर प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी सभी बहियों और दस्तावेजों के रखरखाव, परिरक्षण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

6.5 संयुक्त धारकों को प्रमाणपत्र जारी करना

दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से पंजीकृत शेयरों का प्रमाणपत्र उस व्यक्ति को सौंपा जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में पहले दर्ज है।

6.6 संयुक्त धारकों के पहले नाम वाले व्यक्ति को एकमात्र धारक समझा जाएगा

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से है, जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में पहले दर्ज है, लाभांश या बोनस की प्राप्ति के संबंध में, या नोटिस की तामील या कंपनी से संबंधित कोई अन्य मामला, बैठकों में मतदान और शेयरों के हस्तांतरण के सिवाय, उसका एकमात्र धारक समझा जाएगा, लेकिन शेयर के संयुक्त धारक, अलग - अलग और संयुक्त रूप से, सभी किस्तों के भुगतान और इस प्रकार के शेयर के संबंध में देय मांग और अधिनियम के सभी उपबंधों के

अनुसार इससे संबन्धित सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होंगे।

6.7 मांग

निदेशक मण्डल, समय-समय पर, निदेशक मण्डल की बैठक में पारित संकल्प द्वारा और न की किसी परिपत्र संकल्प द्वारा, जैसा कि वे उचित समझें, उनके द्वारा धारित शेयरों के लिए भुगतान न की गई सभी राशियों के संबंध में सदस्यों को इस प्रकार की मांग भेज सकता है (चाहे शेयरों के अंकित मूल्य या प्रीमियम के माध्यम से) और न कि नियत समय पर देय हुए उसके आवंटन की शर्तों के आधार पर। प्रत्येक सदस्य उसको भेजी गई प्रत्येक मांग की राशि का भुगतान उन व्यक्तियों को और निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर करेगा। किसी मांग का भुगतान किस्तों में भी किया जा सकता है और उसका भुगतान किया हुआ माना जाएगा, जब निदेशक मण्डल के संकल्प में इस तरह की मांग को अधिकृत करते हुए इसे पारित किया गया था।

6.8 मांग का नोटिस

अनुबंध के उपबंधों के अधीन, किसी भी मांग के लिए कंपनी द्वारा कम से कम चौदह (14) दिन का नोटिस दिया जाएगा और उसमें समय और भुगतान के स्थान और मांग का भुगतान किसको किया जाना है, इस बात का विशिष्ट उल्लेख किया जाएगा, बशर्ते कि, इस प्रकार की मांग के भुगतान के लिए समय से पूर्व, निदेशक मण्डल, सदस्यों को लिखित में नोटिस देकर, उसे रद्द कर सकता है या उसके भुगतान के समय को बढ़ा सकता है।

6.9 संकल्प की तारीख से मांग

मांग उस समय की हुई मान ली जाएगी जब इस प्रकार की मांग को अधिकृत करने के लिए बोर्ड की बैठक में संकल्प पारित किया गया था और उक्त सदस्यों द्वारा देय होगी जिनका नाम उस तारीख या निदेशकों के विवेक पर बाद की ऐसी तारीख जैसा कि निदेशकों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, को सदस्यों के रजिस्टर में दर्शाया गया है।

6.10 मांग के रूप में निर्धारित समय पर देय राशि या किस्तों पर देय राशि

यदि, किसी भी शेयर के मुद्दे के संदर्भ द्वारा या अन्यथा, कोई राशि आवंटन पर या किसी नियत तारीख को या नियत समय पर, चाहे शेयर के अंकित मूल्य के कारण या प्रीमियम द्वारा किस्तों में, देय है या देय हो गई है, इस प्रकार की प्रत्येक राशि या किस्त इस प्रकार से देय होगी मानो कि यह निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत की गई एक मांग थी और उस तारीख को भुगतान योग्य थी जिसको, मुद्दे के संदर्भ द्वारा या अन्यथा, ऐसी राशि देय होती है और जिस तारीख को देय संबंधी नोटिस दिया गया है। इस प्रकार की राशि का भुगतान न किए जाने पर इसमें निहित सभी संबद्ध उपबंध ब्याज और खर्चों के भुगतान, जब्ती या अन्यथा के रूप में इस तरह लागू होंगे मानो कि इस प्रकार की राशि विधिवत अधिसूचित की गई मांग के आधार पर देय हो गई थी।

6.11 जब मांग पर ब्याज या किस्त देय हो

यदि किसी मांग या किस्त के संबंध में किसी देय राशि का भुगतान उसके लिए निर्धारित दिन को या उससे पूर्व नहीं किया जाता है, उस समय के लिए शेयरधारक जिसके संबंध में मांग की गई होगी या किस्त देय होगी, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा जैसा कि निदेशक मण्डल निर्धारित करता है। तथापि, निदेशक मण्डल अपने पूर्ण विवेक से किसी ब्याज को माफ कर सकता है।

6.12 मांग की कार्रवाई में साक्ष्य

किसी मांग के लिए देय किसी धन की वसूली के लिए किसी कार्रवाई के परीक्षण या सुनवाई पर, यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगा कि अभियोग चलाये जाने वाले व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज है क्योंकि शेयर का धारक या धारकों में से कोई एक, जिनके संबंध में इस प्रकार का ऋण जमा हुआ है, कि मांग किए जाने संबंधी संकल्प को कार्यवृत पुस्तक में विधिवत रिकॉर्ड किया गया है और कि इस प्रकार की मांग का नोटिस अभियोग चलाये जाने वाले सदस्य को विधिवत रूप से दिया गया था, उक्त दस्तावेजों के अनुसरण में और उन निदेशकों की नियुक्ति को साबित करने के लिए आवश्यक नहीं होगा जिन्होंने इस प्रकार की मांग की है, न ही किसी प्रकार की गणपूर्ति और न ही कोई मामला, जो कोई भी हो और उपरोक्त मामलों के सबूत ऋण के लिए अंतिम साक्ष्य होंगे।

6.13 आंशिक भुगतान जब्ती में बाधक नहीं

किसी शेयर के संबंध में मांग या देय अन्य राशि के लिए कंपनी के पक्ष में न ही कोई निर्णय और न ही कोई डिक्री, न ही किसी राशि के भाग के कंपनी द्वारा प्राप्ति, जो किसी शेयर के संबंध में किसी सदस्य से समय-समय पर देय होगी, चाहे वह मूलधन हो या ब्याज, न ही इस प्रकार की किसी राशि के भुगतान के संबंध में कंपनी द्वारा दी गई माफी इसके बाद कंपनी को इस प्रकार के शेयरों की जब्ती की कार्रवाई करने की बाध्यता से नहीं रोकेगी, जैसा कि यहाँ प्रदान किया गया है।

6.14 भुगतान के लिए अग्रिम रूप से मांग करना

निदेशक मण्डल, यदि वे उचित समझते हैं, किसी सदस्य से, जो अग्रिम रूप से भुगतान करने का इच्छुक है, उसके द्वारा धारित शेयरों पर वास्तव में मांग की गई देय सभी राशि या उसके किसी हिस्से से अधिक की राशि प्राप्त कर सकता है, और अग्रिम रूप से भुगतान की गई या तत्संबंधी ऐसी राशि पर, जैसा कि समय-समय पर मांग की राशि से अधिक होती है तब ऐसे शेयरों पर जिनके संबंध में इस प्रकार का अग्रिम भुगतान किया गया है, कंपनी (जब तक कि ऐसा अग्रिम वर्तमान में भुगतान योग्य नहीं हो जाता) इस प्रकार की राशि का अग्रिम भुगतान करने वाले सदस्य को ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान कर सकती है, जो नौ (9) प्रतिशत वार्षिक की दर से अधिक नहीं होगा और निदेशक मण्डल इस पर सहमति प्रदान कर सकता है और निदेशक मण्डल किसी भी समय ऐसे सदस्य को लिखित में तीन (3) माह का नोटिस देकर इस प्रकार अग्रिम भुगतान के लिए राशि का पुन-र्भुगतान कर सकता है। तथापि, इस प्रकार का अग्रिम भुगतान करने वाला सदस्य किसी लाभांश या कंपनी के लाभ में सम्मिलित होने का हकदार नहीं होगा या उसके द्वारा इस प्रकार से भुगतान की गई राशि के संबंध में किसी मतदान का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि वह, लेकिन ऐसे भुगतान के लिए, वर्तमान में देय नहीं हो जाता है।

6.15 शेयरों पर देय राशि के लिए मुकदमा चलाने हेतु सबूत

उसके शेयरों के संबंध में कंपनी को भुगतान का दावा की जाने वाली किसी राशि की वसूली के लिए किसी सदस्य या उसके प्रतिनिधियों विरुद्ध कंपनी द्वारा की गई कोई कार्रवाई या मुकदमे के परीक्षण या सुनवाई पर, यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगा कि उन सदस्यों का नाम, जिनके शेयरों के संबंध में धन की वसूली करने की आवश्यकता है, धारक के रूप में सदस्यों के रजिस्टर

में दर्ज है। कि मांग किए जाने संबंधी संकल्प कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत रिकॉर्ड किया गया है; और कि इस प्रकार की मांग का नोटिस उक्त अनुच्छेदों के अनुसरण में इस प्रकार का अभियोग चलाने वाले सदस्य या उसके प्रतिनिधि को विधिवत् दिया गया है; उन निदेशकों की नियुक्ति साबित करने के लिए यह आवश्यक होगा जिन्होंने इस प्रकार की मांग की है कि बोर्ड में निदेशकों की गणपूर्ति थी जिसमें मांग की गई थी, न ही उस बैठक का जिसमें कोई मांग की गई थी विधिवत रूप से आयोजित या गठित की गई थी और न ही किसी अन्य मामले में जो की भी हो, लेकिन उपरोक्त मामलों का सबूत ऋण के लिए अंतिम साक्ष्य होगा।

6.16 मांग की प्रत्याशा में भुगतान पर ब्याज लगाया जा सकता है

(i) बोर्ड, यदि इसे उचित समझता है, किसी सदस्य से राशियों से अधिक उसके संबधित शेयरों की सभी राशि या उसके किसी एक हिस्से को प्राप्त करने पर सहमत है, जो उसे अग्रिम रूप से देने का इच्छुक है, वास्तव में मांगी गई और इस प्रकार की राशि का अग्रिम रूप से भुगतान करने पर, या तत्संबंधी राशि का भुगतान करने पर, समय-समय पर, और उसके बाद किसी भी समय क्योंकि उस समय मांग की राशि उससे अधिक होती है और ऐसे शेयरों के मामले में देय है जिनके कारण इस प्रकार का अग्रिम भुगतान किया गया है। बोर्ड ब्याज का भुगतान कर सकता है, अनुमति दे सकता है, ऐसी दर पर जितनी पर सदस्य अग्रिम रूप से राशि का भुगतान कर रहा है और बोर्ड उस पर सहमत है। बोर्ड इस प्रकार से अग्रिम दी गई राशि को किसी भी समय पुन- र्भुगतान के लिए सहमत हो सकता है या सदस्य को तीन माह का लिखित रूप से नोटिस देकर उस राशि का किसी भी समय पुन- र्भुगतान कर सकता है। बशर्ते कि किसी शेयर पर मांग के आधार पर भुगतान की गई अग्रिम राशि पर ब्याज लगाया जा सकता है लेकिन लाभांश या लाभ में भागीदारी के लिए कोई भी अधिकार नहीं होगा।

(ii) इस प्रकार की राशि का अग्रिम भुगतान करने वाला कोई भी सदस्य उसके द्वारा इस प्रकार भुगतान की गई राशि के संबंध में मतदान के अधिकार के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उक्त राशि इस प्रकार के भुगतान के लिए वर्तमान में देय नहीं हो जाती।

6.17 सदस्य सदस्यता के विशेषाधिकार के लिए तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि धन की सभी मांगों का भुगतान नहीं कर दिया जाता

कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का लाभांश प्राप्त करने या सदस्य के रूप में किसी भी विशेषाधिकार का प्रयोग करने, मतदान के ऐसे विशेषाधिकार सहित, का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर, चाहे अकेले हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से हों, पर उतने समय के लिए देय और भुगतान योग्य सभी मांगों का भुगतान, ब्याज और सभी खर्चों सहित, यदि कोई है, नहीं करेगा।

7. जब्ती और ग्रहणाधिकार

7.1 यदि मांग और किस्त का भुगतान नहीं किया गया तो नोटिस दिया जा सकता है

यदि कोई सदस्य भुगतान के लिए निर्धारित दिन या उससे पूर्व मांग या किस्त का भुगतान करने में असफल हो जाता है, निदेशक मण्डल उसके बाद किसी भी समय, ऐसे समय के दौरान जब मांग या किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे सदस्य को ब्याज सहित, जो जमा हो गया है, राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दे सकता है, और वे सभी खर्च जो इस प्रकार की राशि का भुगतान न करने पर कंपनी द्वारा किए गए हैं।

7.2 नोटिस प्रपत्र

नोटिस पर उस दिन (नोटिस तामील कराने की तारीख से चौदह (14) दिन की समाप्ति से पूर्व नहीं होना चाहिए) और स्थान (स्थानों) का नाम लिखा होना चाहिए, कब और किस स्थान पर इस प्रकार की उपरोक्त मांग और किस्त का ब्याज और खर्चों सहित भुगतान किया जाना है। नोटिस में इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा कि निर्धारित समय या उससे पूर्व और स्थान पर भुगतान न किए जाने की स्थिति में वे शेयर, जिनके बारे में मांग की गई थी या किस्त देय है, जब्त कर लिए जाएंगे।

7.3 यदि नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है तो शेयरों को जब्त किया जा सकता है

यदि इस प्रकार के किसी उपरोक्त नोटिस की मांग का अनुपालन नहीं किया जाता है तो किसी भी

शेयर को, जिसके संबंध में इस प्रकार का नोटिस दिया गया है, इसके बाद किसी भी समय, सभी मांगों या किस्तों, ब्याज और खर्चों, जो उनके संबंध में देय हैं, के भुगतान से पूर्व निदेशक मण्डल द्वारा इस आशय के एक संकल्प द्वारा जब्त किया जा सकता है। इस प्रकार की जब्ती में जब्त किए गए शेयरों के संबंध में घोषित सभी लाभांश भी शामिल होंगे और जिसका जब्ती से पूर्व वास्तव में भुगतान नहीं किया गया है।

7.4 जब्ती का नोटिस

जब किसी शेयर को इस प्रकार जब्त कर लिया जाता है, निदेशक मण्डल का संकल्प का नोटिस उस सदस्य को दिया जाएगा जिसके नाम उक्त शेयर जब्ती से ठीक पहले था और उसकी जब्ती की तारीख सहित प्रविष्टि तुरंत सदस्यों के रजिस्टर में की जाएगी, बशर्ते कि यद्यपि नोटिस देने में असफल होने पर किसी प्रकार से जब्ती अमान्य नहीं होगी।

7.5 जब्त शेयर कंपनी की संपत्ति हो जाती हैं

इस प्रकार से जब्त कोई भी शेयर कंपनी की संपत्ति समझा जाएगा और निदेशक मण्डल उसे उस ढंग से बिक्री, पुन: आवंटित और अन्यथा निबटान कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

7.6 जब्ती को निरस्त करने की शक्ति

निदेशक मण्डल, किसी भी समय, इस प्रकार जब्त किए जाने से पूर्व किसी शेयर को को बेच दिया गया है, पुन: आवंटित कर दिया गया है या अन्यथा निबटान कर दिया गया है, अनुग्रह और कृपा के रूप, लेकिन अधिकार के रूप में नहीं, ऐसे नियम और शर्तों पर, जैसा कि वे उचित समझें, में उसकी जब्ती को रद्द कर सकता है।

7.7 जब्ती के बावजूद भी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा

कोई सदस्य जिसके शेयर जब्त कर लिए गए हों, जब्ती के बावजूद भी, भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा और कंपनी को तत्काल सभी मांगों, किस्तों, ब्याज और खर्च का भुगतान, जब्ती के समय पर या ऐसे शेयरों के संबंध के कारण, उस पर ब्याज सहित; जब्ती के समय से भुगतान तक, बारह (12) प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से करेगा और निदेशक मण्डल इस प्रकार की राशियों या उसके किसी

भाग के भुगतान के लिए, यदि वे उचित समझते हैं, बाध्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं होगा।

7.8 जब्ती का प्रभाव

शेयर की जब्ती में सभी प्रकार के ब्याज और शेयर के संबंध में कंपनी के विरुद्ध सभी दावे और मांग और इससे प्रासंगिक अन्य सभी अधिकारों, केवल उन अधिकारों को छोड़कर जिनको उक्त दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से सुरक्षित किया गया है, की परिसमाप्ति शामिल होगी।

7.9 जब्ती प्रमाणपत्र

निदेशक या कंपनी सचिव द्वारा लिखा गया कोई प्रमाणपत्र, कि जिस शेयर के संबंध में मांग की गई थी और उसके लिए नोटिस दिया गया था और कि मांग से संबंधित भुगतान में चूक हुई थी और कि उक्त शेयरों की जब्ती के लिए निदेशक मण्डल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया गया था, इस प्रकार के शेयर के लिए पात्र सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उसमें उल्लिखित सभी तथ्य अंतिम साक्ष्य होंगे।

7.10 जब्त किए गए शेयरों के खरीददार और आवंटियों के नाम

कंपनी शेयर की किसी बिक्री, पुनः आवंटन या उसके अन्य निबटान पर दिये गए किसी प्रतिफल, यदि कोई है, को प्राप्त कर सकती है और उस व्यक्ति के पक्ष में शेयर हस्तांतरित कर सकती है जिसको शेयर बेचे गए हैं या निपटारा किया गया है और उस व्यक्ति को, जिसको इस प्रकार के शेयर बेचे, पुनः आवंटित या निपटान किया गया है, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार को कोई खरीददार या आबंटिती ऐसी खरीद या आवंटन से पूर्व कंपनी की देयता के रूप में किसी भी प्रकार की मांगों, राशियों, किस्तों, ब्याज और खर्चों का भुगतान (जब तक कि अनुबंध में इसका उल्लेख न किया गया हो) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही वह किसी प्रकार के अर्जित लाभांश, ब्याज या बोनस के लिए पात्र होगा (जब तक कि अनुबंध में इसका उल्लेख न किया गया हो) या जो इस प्रकार खरीद पूरी होने के समय से पहले या ऐसे आवंटन से पूर्व शेयर पर अर्जित हुआ होगा। इस प्रकार का खरीददार या आबंटिती खरीद राशि, यदि कोई है, के आवेदन को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा, न ही शेयर पर उसका नाम शेयर की जब्ती, पुनः

आवंटन या निबटान के संदर्भ में कार्यवाहियों के कारण किसी प्रकार की अनियमितता या अवैधता द्वारा प्रभावित होगा।

7.11 जब्ती शेयरों के संबंध में शेयर प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के उपबंध के अधीन किसी बिक्री, पुन:आवंटन या किसी निबटान पर सापेक्ष शेयरों के संबंध में मूल रूप से जारी प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों (जब तक कि कंपनी की मांग पर उन्हें चूककर्ता सदस्य द्वारा इसे पूर्व में अभ्यर्पित कर दिया गया हो) को निरस्त कर दिया गया हो और अमान्य हो गए हों और प्रभावी न हों और निदेशक उक्त शेयरों के संबंध में उस व्यक्ति या व्यक्तियों को डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पात्र होंगे।

7.12 शेयरों पर कंपनी का धारणाधिकार

कंपनी का अपने पूरी तरह से प्रदत्त शेयरों पर कोई धारणाधिकार नहीं होगा। आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के मामले में, कंपनी का केवल इस प्रकार के शेयरों के संबंध में एक नियत समय पर मांगी गई या देय सभी राशियों की सीमा तक ही धारणाधिकार रहेगा, अन्यथा आंशिक रूप से प्रदत्त इस प्रकार के शेयर कंपनी के किसी भी तरह के धारणाधिकार से मुक्त रहेंगे। शेयरों पर किसी धारणाधिकार से इस प्रकार शेयरों के संबंध में समय-समय पर घोषित सभी लाभांश या बोनस दिया जाएगा। जब तक कि अन्यथा इस बात पर सहमति ना हो, शेयरों के हस्तांतरण का पंजीकरण कंपनी के धारणाधिकार, इस प्रकार के शेयरों पर यदि है, की समाप्ति होगी। निदेशक मण्डल किसी भी समय किसी शेयर को इस अनुच्छेद के उपबंधों से पूर्ण या आंशिक छूट की घोषणा कर सकता है

7.13 बिक्री द्वारा धारणाधिकार के लिए बाध्य करना

इस प्रकार के धारणाधिकार के लिए बाध्य करने के उद्देश्य के लिए, निदेशक मण्डल इस ढंग से शेयरों को बेच सकता है जैसा वह उचित समझे; लेकिन तब तक कोई भी बिक्री नहीं की जाएगी जब तक कि बेचने की इच्छा संबंधी नोटिस लिखित रूप में ऐसे सदस्य को या उसकी मृत्यु होने पर या दिवालियापन के कारण, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों या प्रशासकों को तामील नहीं कराया गया है और, उसके या उनके द्वारा भुगतान, पूर्ति, या इस प्रकार के ऋणों, देयताओं की

अदायगी, या इस प्रकार के नोटिस के बाद सात दिनों की वचनबद्धता में चूक की गई है। इस प्रकार की बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए, बोर्ड बेचे गए शेयरों के संबंध में हस्तांतरण का कोई दस्तावेज़ निष्पादित करने और उसके खरीददार को बिक्री किए गए शेयर हस्तांतरित करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है और खरीददार को इस प्रकार के हस्तांतरण में शामिल करके शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। उपरोक्त वर्णित इस प्रकार की बिक्री पर, बिक्री किए गए शेयरों के संबंध में प्रमाणपत्र स्वत: ही निरस्त हो जाएंगे और निष्प्रभावी हो जाएंगे और कोई प्रभाव नहीं रहेगा, और निदेशक संबन्धित खरीददार को उसके बदले नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पात्र होंगे।

7.14 बिक्री के लाभ का उपयोग

इस प्रकार की बिक्री से हुए शुद्ध आय कंपनी द्वारा प्राप्त की जाएगी और इस प्रकार की बिक्री की लागत का भुगतान करने के बाद, ऐसे सदस्य के ऋणों, देयताओं के भुगतान या व्यवसायों में लगाई जाएगी और यदि कोई राशि शेष है तो उसे, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासकों या संपत्ति भागीदारों या अन्य कानूनी प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो, को भुगतान किया जाएगा।

7.15 धारणाधिकार और जब्ती की कार्रवाई के बाद बिक्री की वैधता

इसमें इसके पूर्व दी गई शक्तियों के प्रयोग के उद्देश्य से जब्ती के बाद कोई बिक्री करने या धारणाधिकार हेतु विवश करने के लिए, निदेशक मण्डल बिक्री किए गए शेयरों के हस्तांतरण दस्तावेज़ निष्पादित करने और बिक्री किए गए शेयरों के संबंध में रजिस्टर में खरीददार का नाम प्रविष्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और खरीददार कार्यवाही की नियमितता और खरीद राशि के आवेदन को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा और इस प्रकार के शेयरों के संबंध में रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ट हो जाने के बाद, और बिक्री किए गए शेयरों के संबंध में रजिस्टर में बिक्री और प्रविष्टि की वैधता पर किसी व्यक्ति द्वारा अभियोग नहीं चलाया जाएगा।

7.16 निदेशक मण्डल नए प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं

जहां इसमें उल्लिखित उसकी ओर से शक्तियों के अधीन कोई शेयर जब्ती के बाद या धारणाधिकार के लिए बाध्य करने हेतु बेचे जाते हैं, और उनसे संबंधित प्रमाणपत्र इस प्रकार के शेयरों के पूर्व

धारक द्वारा कंपनी को सुपुर्द नहीं किए गए हैं, निदेशक मण्डल ऐसे शेयरों के लिए, इसमें इस प्रकार सुपुर्द न किए गए प्रमाणपत्र में ऐसे ढंग से अंतर करते हुए जैसा कि वे उचित समझे हैं, नया प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

7.17 जब्ती उपबंधों का प्रयोग

जब्ती के रूप में अनुच्छेदों के उपबंध किसी राशि के भुगतान न किए जाने के मामले में लागू होंगे, किसी शेयर को जारी करने की शर्तों द्वारा किसी नियत समय पर भुगतान योग्य होता है, चाहे शेयर की राशि के कारण या प्रीमियम के रूप में, मानो कि यह विधिवत रूप से की गई मांग और अधिसूचना के कारण भुगतान योग्य हो जाता।

8. शेयरों का हस्तांतरण

8.1 हस्तांतरण और अनुमन्य हस्तांतरण पर प्रतिबंध

(i) इस अनुच्छेद के उल्लंघन में प्रयास किए गए शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों का कोई हस्तांतरण अमान्य होगा, कंपनी या बोर्ड पर बाध्यकारी नहीं होगा। कंपनी, उक्त अनुच्छेदों द्वारा अनुमति दिये गए ढंग और सीमा को छोड़कर, कंपनी के किसी भी प्रतिभूति के हस्तांतरण को पंजीकृत नहीं करेगी।

(ii) कोई भी शेयरधारक अपने शेयरों या उसके किसी भाग को शेष शेयरधारकों की स्पष्ट रूप से पूर्व लिखित सहमति के शेयरों के सम - मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री, हस्तांतरण या नहीं सौपेंगा।

(iii) प्रतिभूतियों के सभी हस्तांतरण लागू नियमों और किसी वित्तीय अनुबंध या अन्य अनुबंधों के अधीन किसी प्रतिज्ञापत्र के अधीन होंगे।

8.2 हस्तांतरण रजिस्टर

कंपनी एक "हस्तांतरण रजिस्टर" का रखरखाव करेगी और उसमें किसी शेयर के प्रत्येक हस्तांतरण या सौपने संबंधी विवरण उचित और स्पष्ट रूप से प्रविष्ट किया जाएगा।

8.3 अंतरण प्रपत्र

हस्तांतरण दस्तावेज़ लिखित में होगा और कंपनी अधिनियम की धारा 56 के सभी उपबंध और उस समय के लिए उसमें किसी प्रकार के सांविधिक संशोधन शेयरों के सभी हस्तांतरणों और उसके पंजीकरण के संबंध में विधिवत रूप से संकलित किए जाएंगे।

8.4 अंतरण प्रपत्र को पूरा करना और कंपनी को सौंपना

हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी द्वारा विधिवत रूप से मुद्रांकित और निष्पादित हस्तांतरण दस्तावेज़ अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप कंपनी को सुपुर्द किए जाएंगे। हस्तांतरण दस्तावेज़ के साथ ऐसे साक्ष्य संलग्न किए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड को हस्तांतरणकर्ता के नाम और शेयरों को हस्तांतरण करने के उसके अधिकार को सिद्ध करने के लिए आवश्यकता है और हस्तांतरण का प्रत्येक पंजीकृत दस्तावेज़ कंपनी की अभिरक्षा में तब तक रहेगा जब तक कि बोर्ड के आदेश द्वारा उसे नष्ट नहीं कर दिया जाता। हस्तांतरणकर्ता इस प्रकार के शेयरों का तब तक धारक रहेगा जब तक कि इसके संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में हस्तांतरी का नाम दर्ज नहीं हो जाएगा। किसी हस्तांतरण के पंजीकरण से पूर्व शेयरों के प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों को कंपनी को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए।

8.5 हस्तांतरण बहियाँ और सदस्यों के रजिस्टर कब बंद करने हैं

बोर्ड को हस्तांतरण बहियों, सदस्याओं के रजिस्टर या ऋणपत्र धारकों के रजिस्टर को उस जिले में, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, कुछ समाचारपत्रों में परिचालित करते हुए विज्ञापन द्वारा कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस देकर, ऐसे समय पर और ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जिसकी अवधि एक बार में तीस दिन से अधिक न हो और प्रत्येक वर्ष में कुल मिलाकर 45 दिनों से अधिक न हो, बंद करने का अधिकार होगा।

8.6 निदेशक हस्तांतरण को पंजीकृत करने से मना कर सकते हैं

अधिनियम की धारा 58 (2) के उपबंध प्रतिभूतियों या अन्य हितों के हस्तांतरण को विनियमित करेंगे। उस तारीख से, जिससे दस्तावेज़ या हस्तांतरण या हस्तांतरण की सूचना, जैसा भी मामला हो, तीस दिनों की अवधि में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से मना करने की कंपनी को दी जाती है, हस्तांतरी, इस प्रकार की मना करने की 60 दिनों की अवधि के भीतर या जहां

कंपनी से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, हस्तांतरण दस्तावेज़ या हस्तांतरण की सूचना मिलने के तीस दिनों के अंदर अधिनियम की धारा 58 की उप - धारा 4 के अनुसार अधिकरण में अपील कर सकता है।

8.7 लागू करने का नोटिस कब दिया जाएगा

जहां, आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के मामले में, हस्तांतरणकर्ता द्वारा पंजीकरण के लिए कोई आवेदन दिया है, कंपनी अधिनियम की धारा 56 के उपबंधों के अनुसार हस्तांतरी को लागू करने का नोटिस देगी।

9. शेयरों का हस्तांतरण

9.1 नामांकित व्यक्ति द्वारा चुने जाने वाला विकल्प

(i) उक्त अनुच्छेदों में अन्यथा किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के प्रत्येक शेयरधारक, या ऋणपत्रक या अन्य प्रतिभूति धारक, किसी भी समय, अधिनियम की धारा 72 और उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में किसी व्यक्ति को, जिसको उसकी मृत्यु के मामले में उसके शेयर, ऋणपत्रक या अन्य प्रतिभूतियाँ दी जाएंगी, निर्धारित फॉर्म में नामित कर सकता है।

(ii) कोई व्यक्ति, जो उपरोक्त अनुसार नामिती हो जाता है, अधिनियम की धारा 72 के अनुसार और के अधीन और ऐसे साक्ष्यों पर, जैसा कि बोर्ड आवश्यक समझे, या तो शेयर या ऋणपत्रक या अन्य प्रतिभूति, जैसा भी मामला हो, धारक के रूप में स्वयं को पंजीकृत कर सकता है या

(iii) शेयर या ऋणपत्रक या अन्य प्रतिभूति, जैसा भी मामला हो, उस व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए, जैसा कि कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कंपनी के अंकेक्षकों द्वारा निर्धारित मूल्य पर किया जाएगा।

9.2 बोर्ड के पास पंजीकरण को अस्वीकार करने का अधिकार है

बोर्ड को, दोनों ही मामलों में, पंजीकरण को अस्वीकृत या निलंबित करने का समान अधिकार है,

जैसा कि यह उस मामले में होता था, यदि मृतक शेयरधारक या ऋणपत्रक धारक, जैसा भी मामला हो, ने अपनी मृत्यु से पूर्व शेयरों या ऋणपत्रकों, जैसा भी मामला हो, को हस्तांतरित कर दिया था।

9.3 शेयरों के एक या अधिक संयुक्त - धारकों की मृत्यु

सदस्यों के रजिस्टर में किसी शेयर के संयुक्त - धारक के रूप में नामांकित किसी एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु के मामले में जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों को कंपनी द्वारा ऐसे शेयर में नाम या हित होने के नाते एक मात्र व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी, लेकिन इसमें उल्लिखित के सिवाय किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उसके द्वारा धारित शेयरों पर किसी देयता से किसी मृतक संयुक्त - धारक की संपदा को मुक्त नहीं किया जाएगा।

9.4 मृतक सदस्यों के शेयरों आदि के अधिकार विलेख

जहां किसी शेयरधारक, ऋणपत्रक धारक या किसी अन्य प्रतिभूति धारक को अधिनियम की धारा 72 के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा नामांकित नहीं किया गया है, निष्पादक या प्रशासक या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र धारक या मृतक व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि (दो या दो से अधिक संयुक्त धारकों में से एक होने के नाते नहीं) को इस प्रकार के व्यक्ति के नाम में पंजीकृत किसी शेयर, ऋणपत्रक या अन्य प्रतिभूतियों के शीर्षक होने के नाते कंपनी द्वारा मान्यताप्राप्त एक मात्र व्यक्ति होगा, और कंपनी ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों या किसी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र धारकों या कानूनी प्रतिनिधियों को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगी, जब तक कि ऐसे निष्पादक या प्रशासक या कानूनी प्रतिनिधि भारत में विधिवत रूप से गठित किसी न्यायालय से पहले प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, प्राप्त न कर लिया हो; बशर्ते कि किसी भी स्थिति में, जहां बोर्ड अपने पूर्ण विवेक उचित समझता है, बोर्ड ऐसी शर्तों पर क्षतिपूर्ति के रूप में या अन्यथा जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझता है और अनुच्छेद 8 के अधीन किसी व्यक्ति का नाम पंजीकृत करता है जो सदस्य के रूप में किसी मृतक व्यक्ति के नाम वाले शेयरों का पूर्ण रूप से हकदार होने का दावा करता है, प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार के प्रमाणपत्र की प्रस्तुति को रद्द कर सकता है।

9.5 बच्चों आदि को कोई हस्तांतरण नहीं

किसी भी परिस्थिति में कोई भी शेयर किसी बच्चे, दिवालिए या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

9.6 हस्तांतरण के अलावा शेयरों के लिए पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण

अधिनियम और उक्त दस्तावेजों के उपबंधों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन या दिवाले के कारण या उक्त अनुच्छेदों के अनुसरण में हस्तांतरण के अलावा किसी कानूनी ढंग से शेयरों के लिए पात्र बन रहा है, बोर्ड की सहमति से (जो इसे किसी भी दायित्व के अधीन नहीं दिया जाएगा), इस प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कि वह उसके लिए पात्रता रखता है जिसके लिए वह इस अनुच्छेद या ऐसे शीर्षक के अधीन कार्य करने का इरादा रखता है, जिसे बोर्ड पर्याप्त समझता है, चाहे शेयरों के धारक के रूप में स्वयं को पंजीकृत करके या उसके द्वारा नामित और ऐसे धारक के रूप में पंजीकृत बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति का चयन करके; बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति उसका पंजीकृत नामिती होने के लिए चुन लिया जाएगा, वह इसमें उल्लिखित उपबंधों के अनुसार हस्तांतरण के किसी दस्तावेज़ को अपने नामिती के पक्ष में निष्पादित करके चुनाव का साक्ष्य देगा और जब तक वह ऐसा करता है, वह शेयरों के संबंध में किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होगा।

9.7 हस्तांतरण या सौंपने पर शुल्क

उसी पक्ष को किसी भी संख्या में शेयरों के हस्तांतरण या सौंपने के संबंध में कंपनी को ऐसे शुल्क, यदि कोई है, का भुगतान करना होगा, जैसा कि निदेशक आवश्यक समझें।

9.8 किसी हस्तांतरण के पंजीकरण को रोकने संबंधी नोटिस की उपेक्षा के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है

कंपनी उक्त शेयरों के पंजीकरण के कारण या किसी स्पष्ट कानूनी मालिक (जैसा कि सदस्यों के रजिस्टर में दर्शाया गया है या दिख रहा है) द्वारा किए गए या किए जाने वाले शेयरों के किसी हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए, उन व्यक्तियों के हितों के प्रतिकूल जो उक्त शेयरों में या पर न्यायोचित अधिकार, शीर्षक या हित रखते हैं या रखने का दावा कर रहे हैं, कोई दायित्व या

ज़िम्मेदारी नहीं लेगी, इस बात के होते हुए भी कि कंपनी ऐसे न्यायोचित अधिकार, शीर्षक या हित या ऐसे हस्तांतरण के पंजीकरण को रोकने के लिए दिये गए नोटिस की जानकारी थी और कंपनी की किसी पुस्तक में ऐसे नोटिस को दर्ज किया गया है अथवा उसका संदर्भ दिया गया है, और कंपनी ऐसे किसी नोटिस पर विचार करने या ध्यान देने या प्रभावी बनाने के लिए के लिए बाध्य नहीं होगी, जो इसे किसी न्यायोचित अधिकार, शीर्षक या हित या किसी देयता के अधीन, जो कुछ ऐसा करने के लिए मना करने या उपेक्षा करने के लिए, यद्यपि इसकी कंपनी की किसी पुस्तक में प्रविष्टि की गई है या संदर्भित किया गया है, लेकिन कंपनी ऐसा होने के बावजूद भी इस प्रकार के नोटिस पर ध्यान देने या विचार करने और इसको प्रभावी बनाने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि बोर्ड ऐसा करना उचित समझता है।

9.9 मृतक धारकों के शेयर का अधिकार विलेख

मृतक सदस्य के निष्पादक या प्रशासक कंपनी द्वारा चिन्हित केवल एक मात्र व्यक्ति होंगे जिनके पास उसके शेयर, संयुक्त शेयरधारक के मामले को छोड़कर, के शीर्षक होंगे, जिस मामले में जीवित धारक या धारकों या निष्पादकों या पिछले जीवित धारक के प्रशासक इस प्रकार चिन्हित किए जाने के लिए पात्र एक मात्र व्यक्ति होंगे; लेकिन इसमें उल्लिखित के सिवाय उसके द्वारा संयुक्त रूप से धारित किसी शेयर के मामले में किसी देयता से मृतक संयुक्त धारक की संपत्ति को मुक्त नहीं किया जाएगा। कंपनी ऐसे निष्पादक या प्रशासक को तब तक मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगी जब तक वह भारत के विधिवत रूप से गठित किसी न्यायालय, जिसे ऐसे प्रोबेट या प्रशासन पत्र देने का अधिकार है, से प्रोबेट या प्रशासन पत्र या अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व, जैसा भी मामला हो, प्राप्त नहीं कर लेता। तथापि, बशर्ते कि जिन मामलों को बोर्ड अपने विवेक से विशेष मामले समझता है और केवल ऐसे मामलों में, निदेशेक मण्डल को, क्षतिपूर्ति या अन्यथा के रूप में ऐसी शर्तों पर, जैसा कि निदेशक मण्डल उचित समझता है, प्रोबेट या प्रशासन पत्र या ऐसे अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व की प्रस्तुति को रद्द करने का अधिकार होगा। मृतक व्यक्ति के शेयर से संबंधित उत्तराधिकार प्रमाणपत्र धारक और - - - - - - - राज्य (राज्य / संघ क्षेत्र का नाम लिखें) में प्रभावशाली इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए एक प्रशासक समझा जाएगा।

9.10 पात्र व्यक्ति किसी सदस्य के रूप में पंजीकृत हुए बिना लाभांश प्राप्त कर सकता है

(i) किसी शेयरधारक की मृत्यु, दिवालिएपन या दिवाला निकल जाने के कारण हस्तांतरण द्वारा किसी शेयर का हकदार कोई व्यक्ति निदेशकों के अधिकार के अधीन उक्त अनुच्छेदों में निर्दिष्ट किसी लाभांश या राशि को धारित कर सकता है, प्राप्त करने का हकदार हो सकता है और शेयर के संबंध में देय किसी लाभांश या अन्य राशियों के लिए अदायगी कर सकता है।

(ii) शेयरधारक प्राप्त करेगा कि बोर्ड लाभांशों और आधिक्य राशि के समाजोजन की घोषणा के संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा;

क. भविष्य की कार्यशील पूंजी, कर समायोजन, स्थानीय कानून द्वारा अपेक्षित अन्य प्रतिबंधों सहित विवेकी और अन्य उचित बचत का रखरखाव;

ख. कंपनी के सभी वास्तविक और अग्रनीत हानियों के लिए देय और विवेकी प्रावधान;

ग. शेयरधारकों को या बैंकों को और असुरक्षित लेनदारों के रूप में वित्तीय संस्थानों को सभी ऋण, उधारी और कंपनी द्वारा बकाया ऋण के भुगतान के लिए देय और विवेकी प्रावधान; और

घ. अन्य कोई कारक जिस पर शेयरधारक विचार करने के लिए सहमत हों।

(iii) शेयरधारक बोर्ड द्वारा अनुशंसित किसी लाभांश को प्राप्त करेंगे, जिन्हें शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया है और कंपनी द्वारा आम सभा में इस प्रकार के अनुमोदन के बाद अधिकतम 30 दिनों के अंदर वितरित किया जाएगा। लाभांश का अधिकार इस प्रकार के लाभांशों को अनुमोदित करने के लिए आम सभा की तारीख को देय होगा और लाभांश प्रत्येक शेयर पर दिया जाएगा, जो रिकॉर्ड की गई तारीख को कंपनी के साथ पंजीकृत था। इस प्रकार के किसी लाभांश की पात्रता निर्धारित करने के लिए दर्ज की गई तारीख इस प्रकार के लाभांश की संस्तुति करने के लिए आम सभा की बैठक से 30 दिन पूर्व होगी।

9.11 बोर्ड हस्तांतरण के साक्ष्य की अपेक्षा रखता है

शेयरों के प्रत्येक हस्तांतरण को इस प्रकार सत्यापित किया जाएगा जैसा की निदेशक मण्डल

आवश्यक समझे और कंपनी इस प्रकार के पंजीकरण के लिए तब तक मना कर सकती है जब तक कि उसे सत्यापित नहीं किया जाता या जब तक इस प्रकार के पंजीकरण के संबंध में कंपनी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती, जिसे निदेशक मण्डल अपने विवेक में पर्याप्त समझेगा; तथापि, बशर्ते कि किसी क्षतिपूर्ति को स्वीकार करने के लिए कंपनी या निदेशक मण्डल पर कोई दायित्व नहीं होगा।

9.12 कानूनी प्रतिनिधि द्वारा हस्तांतरण

किसी मृतक सदस्य के कंपनी में शेयर का हस्तांतरण, उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा किया गया, यद्यपि कानूनी प्रतिनिधि स्वयं कोई सदस्य नहीं है, इस प्रकार वैध रहेगा मानो कि हस्तांतरण दस्तावेज़ के निष्पादन के समय वह एक सदस्य था।

10. पूंजी में वृद्धि, कमी और परिवर्तन

10.1 पूंजी में परिवर्तन

कंपनी आम सभा में, एक साधारण संकल्प द्वारा अपनी संस्था के स्मृति - पत्र की शर्तों में समय-समय पर निम्न प्रकार बदलाव कर सकती है अर्थात;

(i) यह अपनी शेयर पूंजी को ऐसी राशि तक बढ़ा सकती है जैसा कि वह निजी और अन्य निवेशकों को नए शेयर जारी करके लाभकारी समझती है। यहाँ तक कि यदि निजी और अन्य इक्विटी शेयरधारकों को कंपनी में शामिल किया जाता है, राज्य / संघ शासित राज्य और शहरी स्थानीय निकाय समान अनुपात में इक्विटी शेयरधारिता में अपने अंशदान को बनाए रखेंगे।

(ii) अपनी सभी या किसी शेयर पूंजी को अपने वर्तमान शेयरों की तुलना में कम राशि के शेयरों में समेकित और बंटवारा करना।

(iii) अपने शेयरों, या उनमें से किसी, को स्मृति - पत्र में निर्धारित राशि से कम राशि के शेयरों में उप - विभाजित करना, ताकि उप - विभाजन में भुगतान की गई राशि और प्रत्येक कम किए गए शेयर पर भुगतान न की गई राशि, यदि कोई है, के बीच अनुपात वही होगा जो

उस शेयर के मामले में था जिसमें से कम किए गए शेयर को निकाला गया था।

(iv) किसी शेयर को निरस्त करना, उस बारे में पारित किए गए संकल्प के तारीख को, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विचार नहीं किया गया है या विचार करने पर सहमत नहीं है और राशि में कमी करता है यदि शेयरों की राशि द्वारा अपनी शेयर पूंजी इस प्रकार निरस्त कर दी जाती है।

(v) संकल्प, जिससे किसी शेयर को उप - विभाजित किया गया है, निर्धारित कर सकता है कि जैसे शेयरधारकों के बीच इस प्रकार के एक या उससे अधिक शेयरों के इस प्रकार के उप - विभाजन के कारण लाभांश, पूंजी के कारण या अन्यथा अन्य की तुलना में समान अधिमान या विशेष लाभ होगा।

10.2 नयी प्रतिभूतियों का प्रस्ताव

इसमें उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, कोई प्रतिभूति ("नई प्रतिभूतियां"), कंपनी द्वारा जारी की जाने वाली, उनके संबंधित शेयरधारिता प्रतिशत के अनुपात में सभी शेयरधारकों को अंशदान के लिए पहले प्रस्तावित की जाएगी।

10.3 वर्तमान पूंजी के समान नई पूंजी

निर्गमन की शर्तों द्वारा या उक्त दस्तावेजों द्वारा अब तक अन्यथा प्रदत्त के सिवाय, नए शेयरों के सृजन द्वारा उगाही गई कोई पूंजी मूल पूंजी का एक हिस्सा समझी जाएगी, और इसमें उल्लिखित उपबंधों, मांग और भुगतान, जब्ती, धारणाधिकार, अभ्यर्पण, हस्तांतरण और सौंपना, मतदान और अन्यथा के भुगतान के संदर्भ की शर्तों के आधार पर होगा।

10.4 प्रतिदेय अधिमान शेयर

अधिनियम की धारा 55 के उपबंधों के अधीन, कंपनी को अधिमान शेयर जारी करने का अधिकार है जो कंपनी के विकल्प पर निर्भर हैं, प्रतिदेयता के लिए दायी हैं और इस प्रकार के निर्गमन के लिए अधिकृत करने संबंधी प्रस्ताव में प्रतिदेयता के ढंग, नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाएगा।

10.5 शेयरों के अधिमान धारकों के मतदान अधिकार

अधिमान शेयरधारकों को केवल संकल्पों के आधार पर मत देने का अधिकार होगा जो सीधे उसके अधिमान शेयरों से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करता है। अधिमान शेयरधारक भी किसी बैठक में कंपनी के सामने रखे गए प्रत्येक प्रकार के संकल्प पर तब तक और उसके बाद मत देने के अधिकारी होंगे जब तक कि उनके लाभांश उनकी पूर्ववर्ती तारीख से दो वर्ष से अधिक समय से शेष हों।

10.6 प्रतिदेय अधिमान शेयरों के जारी होने पर आवेदन के प्रावधान

इस कारण अनुच्छेद 77 के उपबंधों के अधीन प्रतिदेय अधिमान शेयरों के जारी होने पर निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे: -

(i) इस प्रकार के शेयरों को कंपनी के लाभ के सिवाय प्रतिदेय नहीं किया जाएगा जो अन्यथा लाभांश के लिए उपलब्ध होंगे या प्रतिदेयता के उद्देश्य के लिए बने शेयरों के नए निर्गमन से प्राप्ति;

(ii) ऐसे शेयरों को तब तक प्रतिदेय नहीं किया जा सकता जब तक कि वे पूरी तरह से प्रदत्त न हों;

(iii) प्रतिदेयता पर भुगतान किए जाने वाला प्रीमियम, यदि कोई है, कंपनी के लाभ या शेयरों को प्रतिदेय करने से पूर्व कंपनी के शेयर प्रीमियम खाते से उपलब्ध कराया गया होगा;

(iv) जहां किसी भी तरह के शेयरों को नए निर्गमन की आय के अलावा अन्यथा प्रतिदेय किया जाता है, वहाँ लाभ में से, जो लाभांश के लिए अन्यथा उपलब्ध होते, आरक्षित निधि में हस्तांतरित किया जाएगा, जिसे "पूंजी प्रतिदेय आरक्षित खाता" कहा जाएगा, प्रतिदेय शेयरों की अंकित राशि के बराबर एक राशि और कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से संबंधित अधिनियम के उपबंध, अधिनियम की धारा 55 में विनिर्दिष्ट के सिवाय, लागू होंगे मानो कि पूंजी प्रतिदेय आरक्षित खाता कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

10.7 शेयरधारकों के अधिकार भिन्न करने की शक्ति

जब, अधिमान शेयरों के जारी होने के कारण या अन्यथा, पूंजी को शेयरों की विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, प्रत्येक श्रेणी से जुड़े सभी या किसी भी अधिकारों और विशेषाधिकारों को, अधिनियम की धारा 48 के उपबंधों के अधीन संशोधित, रूपांतरित, प्रभावित या निराकृत किया जा सकता है, या कंपनी और उस श्रेणी की ओर से अनुबंध के लिए अभिप्रेत किसी व्यक्ति के बीच अनुबंध द्वारा सुलझाया गया हो, बशर्ते कि ऐसे अनुबंध का श्रेणी के लिए जारी शेयरों के अंकित मूल्य में कम से कम तीन चौथाई धारकों द्वारा लिखित में अनुसमर्थन किया हो या उस श्रेणी के शेयरधारकों की अलग आम सभा में एक विशेष संकल्प पारित करके उसकी पुष्टि की गई हो।

10.8 पूंजी में कमी

अधिनियम की धारा 66 के उपबंधों के अधीन और कंपनी द्वारा दिये गए आवेदन पर ट्राइबुनल द्वारा पुष्टि के अधीन, जो किसी विशेष तरीके से किसी ढंग में शेयर पूंजी कम करने के लिए एक विशेष संकल्प द्वारा किया जा सकता है:

क) इसके किसी भी अप्रदत्त शेयर पर देयता को समाप्त या कम करके या;

ख) देयता को समाप्त या कम करके या उसके बगैर या इसके किसी शेयर पर;

i) किसी प्रदत्त शेयर पूंजी को निरस्त करके जो लुप्त हो गई है या उपलब्ध परिसंपत्तियों द्वारा अनजान है; या

ii) किसी प्रदत्त शेयर पूंजी का भुगतान कर दिया गया है जो कंपनी की आवश्यकताओं से अधिक हैं;

iii) अपनी शेयर पूंजी और तदनुसार इसके शेयरों की राशि को कम करने के लिए अपने स्मृति - पत्र में बदलाव करता है। बशर्ते कि इस प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी यदि किसी जमा का पुन - र्भुगतान शेष है, इसे अधिनियम लागू होने से पूर्व या बाद में से किसी में भी स्वीकार किया गया हो या उसके ऊपर ब्याज देय हो।

11. उधार लेने की शक्तियां

11.1 उधार लेने की शक्ति

अधिनियम की धारा 179 और 180 के उपबंधों के अधीन, निदेशक मण्डल, समय-समय पर, या तो बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प द्वारा अग्रिम रूप से मांग द्वारा या अन्यथा सदस्यों से जमा स्वीकार कर सकता है, और समान्यतया कंपनी के लिए किसी राशि या राशियों के भुगतान के लिए उगाही कर सकती है या उधार ले सकती है या सुरक्षित रख सकती है। तथापि बशर्ते कि, जहां पर पहले से उधार ली गई राशि के साथ उधार ली जाने वाली राशि (कंपनी के सामान्य काम - काज के लिए कंपनी के बैंकर्स से लिए गए अस्थायी ऋणों के अलावा) कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी और इसके विमुक्त संचय से अधिक होती है (किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग से संचय नहीं की जा रही है), निदेशक मण्डल कंपनी की आम सभा की सहमति के बगैर इस प्रकार की राशि उधार नहीं लेगा।

11.2 उधार ली गई राशि के पुन - र्भुगतान हेतु शर्तें

अनुच्छेद 11 के अनुसरण में उधार ली गई राशियों के भुगतान या पुन - र्भुगतान को इस ढंग से और सभी प्रकार से ऐसे नियमों और शर्तों पर सुरक्षित रखा जाए, जैसा निदेशक मण्डल उचित समझे, कंपनी के उपक्रमों या संपत्ति के सभी या किसी भाग पर प्रभार सहित (वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए) कंपनी के ऋणपत्रकों या ऋणपत्रक स्टॉक को जारी करना और उस समय के लिए इसकी मांग न की गई शेयर पूंजी भी इसमें शामिल है।

11.3 ऋणपत्रक निदेशकों के नियंत्रण के अधीन होंगे

कोई भी ऋणपत्रक, ऋणपत्रक स्टॉक, बाण्ड्स या अन्य प्रतिभूतियां, कंपनी द्वारा जारी कर दी गई हैं या की जाएंगी, निदेशक मण्डल के नियंत्रणाधीन होंगी, जो उन्हें ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन और ऐसे ढंग तथा ऐसे मूल्य पर जारी कर सकते हैं, जैसा कि वे कंपनी के लाभ के लिए उचित समझेंगे।

11.4 ऋणपत्रकों को जारी करने की शर्तें

कोई ऋणपत्रक, ऋणपत्रक स्टॉक, या अन्य प्रतिभूतियों को छूट, लाभ या अन्यथा पर जारी किया जा सकता है और इस शर्त पर जारी किया जा सकता है कि वे किसी भी मूल्यवर्ग के शेयरों में परिवर्तनीय होंगे और विशेषाधिकार तथा शर्तों के साथ जैसे कि मोचन, अभ्यर्पण, आहरण, शेयरों का आवंटन, कंपनी की आम सभा में भाग लेना और निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार और अन्यथा। दस्तावेजों के अधीन, शेयरों के परिवर्तन या आवंटन के अधिकार वाले ऋणपत्रकों को केवल कंपनी की आम सभा की सहमति और इस अधिनियम की धारा 53 के उपबंधों के अधीन जारी किया जाएगा।

11.5 अनपेक्षित पूंजी को बंधक करना

यदि कंपनी की कोई अनपेक्षित पूंजी किसी बंधक या अन्य प्रतिभूति में शामिल है या प्रभारित है, निदेशक मण्डल, अधिनियम के उपबंधों और उक्त दस्तावेजों के अधीन, अपने पास रखी ऐसी अनपेक्षित पूंजी के संबंध में उस व्यक्ति को बुलाएगा, जिसके पक्ष में ऐसा बंधक या प्रतिभूति निष्पादित की गई है, या यदि अधिनियम में अनुमति दी गई है तो, कंपनी की मुहर लगे दस्तावेज़ द्वारा, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में इस प्रकार का बंधक या प्रतिभूति निष्पादित की गई है या उसके विश्वास के किसी अन्य व्यक्ति को, इस प्रकार की अनपेक्षति पूंजी के संबंध में सदस्यों को बुलाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, और बुलाने के संबंध में इसमें निहित प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों सहित, ऐसे प्राधिकार के अधीन की गई कॉल के लिए लागू होगी और इस प्रकार के प्राधिकार का या तो सशर्त अथवा बिना शर्त और या तो वर्तमान में अथवा अनिश्चित रूप में और या तो बोर्ड के अधिकार को छोड़कर या अन्यथा उपयोग किया जा सकता है और यदि ऐसा व्यक्त किया गया है तो आवंटित किया जाएगा।

11.6 अनपेक्षित पूंजी पर प्रभार प्राथमिकता

जहां कंपनी की कोई अनपेक्षित पूंजी प्रभारित है, बाद में उस पर किसी प्रकार का प्रभार लेने वाले सभी व्यक्ति ऐसे पूर्व प्रभार के अधीन उसे प्राप्त करेंगे और ऐसे पूर्व प्रभार पर प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए शेयधारकों को या अन्यथा नोटिस द्वारा पात्र नहीं होंगे।

11.7 क्षतिपूर्ति की जा सकती है

यदि कोई निदेशक या उनमें से कोई एक या अन्य कोई व्यक्ति प्राथमिक रूप से कंपनी की ओर किसी प्रकार किसी प्रकार की राशि के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो जाएंगे, निदेशक मण्डल कंपनी की परिसंपत्तियों के पूर्ण अथवा किसी भाग को बंधक, प्रभार या प्रतिभूति निष्पादित कर सकता है या निष्पादित करने का कारण बन सकता है, इस प्रकार की देयता के संबंध में उपरोक्त अनुसार जिम्मेदार हो जाने के कारण निदेशक या व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि से क्षतिपूर्ति द्वारा सुरक्षित कर सकता है।

12. निदेशक मण्डल

12.1 निदेशकों की संख्या

i) निदेशक मण्डल में 7 (सात) निदेशक होंगे, जिसमें से बोर्ड में कम से कम 50% निदेशक स्वतंत्र होंगे। निम्नलिखित व्यक्ति कंपनी के निदेशकों के रूप में कार्य करेंगे:

   क. केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मनोनीत निदेशक के रूप में

   ख. राज्य सरकार के प्रतिनिधि

   ग. शहरी स्थानीय निकाय / सहायक निकाय के प्रतिनिधि

   घ. स्वतंत्र निदेशक

   ङ. अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि

(नोट: - बोर्ड संरचना / बोर्ड समिति / निदेशकों की नियुक्ति कंपनी की चुकता पूंजी और अन्य निर्धारित मानदंडों के आधार पर कंपनी नियम 2014 (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार की जाएगी)।

ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यात्मक निदेशकों के अतिरिक्त, अपर निदेशकों (जैसे कि सहायक कंपनियों के प्रतिनिधि) को भी, यदि आवश्यक समझा जाए, बोर्ड में शामिल किया जा सकता है।

iii) यदि xxxxxxx की सरकार नया या नए सिरे से जीआर (सरकारी संकल्प) जारी कर कंपनी के निदेशकों की संरचना में संशोधन करती है, बोर्ड की संरचना में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व और स्वतंत्र निदेशकों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखने की शर्त पर संशोधन किया जाएगा।

iv) अध्यक्ष के सिवाय, अधिनियम की धारा 152 के उपबंधों के अनुसार एक तिहाई निदेशक प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होंगे।

12.2 पहले निदेशक

XXXXXXXXX

12.3 कंपनी निदेशकों की संख्या घटा या बढ़ा सकती है

अधिनियम की धारा 149 और 152 के अधीन, कंपनी, साधारण संकल्प द्वारा, समय-समय पर, उक्त दस्तावेजों द्वारा उस ओर से निर्धारित सीमा के अंदर कंपनी के निदेशकों की संख्या को बढ़ा या घटा सकती है। निदेशकों की संख्या में बढ़ोतरी या घटोटरी के कारण प्रत्येक शेयरधारक द्वारा निदेशकों का नामांकन कंपनी के हित में प्रत्येक शेयरधारक के अनुपात में होगा, जब तक कि अन्यथा शेयरधारकों द्वारा उस पर सहमति नहीं दे दी जाती।

12.4 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति

क. केंद्र सरकार के प्रतिनिधि

(i) उक्त अनुच्छेदों में निहित किसी बात के विपरीत होते हुए भी, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कंपनी के बोर्ड में एक निदेशक होंगे, जिन्हें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा। वे अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

(ii) कंपनी के निदेशक मण्डल को केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को उसके पद से हटाने का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को कंपनी में कोई शेयर रखने की पात्रता की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि निदेशकों के चक्रण द्वारा सेवानिवृत्ति के

लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उपरोक्त के अधीन, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के पत्र होंगे और उन्हीं दायित्वों के अधीन होंगे, जैसा कि कंपनी के अन्य निदेशक।

(iii) इस प्रकार से नियुक्त केंद्र सरकार के प्रतिनिधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए उक्त पद पर बने रहेंगे।

(iv) इस अनुच्छेद के अधीन नियुक्त केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आम बैठकों, बोर्ड की बैठकों और समिति की उन सभी बैठकों, जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि सदस्य हैं, के सभी नोटिस और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(v) अधिनियम की अनुसूची के उपबंधों के अधीन कंपनी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने संबंधी उन्हीं शुल्कों और खर्चो का भुगतान करेगी, जैसा कि कंपनी के अन्य निदेशक पात्र हैं।

(vi) बशर्ते कि, यदि केंद्र सरकार को कोई प्रतिनधि कोई सरकारी अधिकारी है, केंद्र सरकार ऐसे प्रतिनिधि के संबंध में बैठक में भाग लेने संबंधी शुल्क का भुगतान भी केंद्र सरकार द्वारा प्रोद्भूत होगा और उसका भुगतान कंपनी द्वारा सीधे केंद्र सरकार को किया जाएगा।

(vii) बशर्ते कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाने के कारण केंद्र सरकार के ऐसे प्रतिनिधि कंपनी के कामकाज में उन अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि सामान्य रूप से एक पूर्णकालिक निदेशक द्वारा निर्वहन किया जाता है। केंद्र सरकार के ऐसे प्रतिनिधि ऐसे पारिश्रमिक, शुल्क, कमीशन और रुपये प्राप्त करने के पात्र होंगे, जैसा कि निदेशक मण्डल और इसके प्रतिनिधियों द्वारा पारिश्रमिक, शुल्क, कमीशन या रुपये प्राप्त करने के संबंध में सरकार की अनुमोदित नीति के अनुपालन में उस समय के लिए अनुमोदित किया गया हो।

ख. स्वतंत्र निदेशक

(i) कंपनी और शेयरधारक स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने के संबंध में अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करेंगे। स्वतंत्र निदेशकों को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा रखे

गए डाटा बैंक से चुना जाएगा। उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने सेबी विनियम, 2015 (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) या किसी अन्य अधिसूचित वेबसाइट की शर्तों को पूरा करते हुए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कार्य किया हो।

(ii) स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड में लगातार पांच वर्ष की अवधि तक के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तथापि, आगे और पांच वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति के मामले में, आम सभा में पारित विशेष संकल्प और इस प्रकार की नियुक्ति का प्रकटीकरण बोर्ड की रिपोर्ट में करने की अवश्यकता होगी।

(iii) स्वतंत्र निदेशक किसी स्टॉक विकल्प के पात्र नहीं होंगे। वह बैठक में भाग लेने संबंधी शुल्क, बोर्ड और समिति की अन्य बैठकों में भागीदरी के लिए हुए खर्च की प्रतिपूर्ति और लाभ से संबधित कमीशन, जैसा कि सदस्यों द्वारा अधिनियम की धारा 197 (5) में निहित अनुमोदित किया गया हो, के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है।

(iv) किसी स्वतंत्र निदेशक को केवल कंपनी द्वारा भूल - चूक के ऐसे कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जो उसकी जानकारी में किए गए थे, बोर्ड की प्रक्रियाओं के कारण और उसकी सहमति या उपेक्षा करके किए गए थे या जहां उसने तत्परता नहीं दिखायी थी।

(v) स्वतंत्र निदेशक अधिनियम की अनुसूची IV के अनुसार आचार संहिता का पालन करेंगे।

12.5 निदेशकों के मत

क. निम्नलिखित मामलों पर अनुमोदन के लिए बैठक में उपस्थित निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों के सकारात्मक मत या अधिकांश सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होगी;

(i) प्रत्येक योजना, परियोजना, विकास कार्यों, योजनाओं और परिजोनाओं का अनुमोदन;

(ii) निविदा जारी करने का अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृतियों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन;

(iii) आकलन और निविदाओं की स्वीकृति; और

(iv) कंपनी की निधियों का निवेश;

(v) कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ या में विलय या किसी अन्य कंपनी के साथ समेकन या कंपनी में विलय की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव या कंपनी के विघटन, परिसमापन या स्वैच्छिक दिवालियेपन की घोषणा, इसके पुनर्पूंजीकरण या पुनर्गठन सहित।

(vi) लाभांश नीति की स्थापना और अनुमोदन और लाभांशों की कोई घोषणा;

(vii) पूर्व अनुमोदित सीमाओं से अधिक बंधक ऋणग्रस्तता और कर्ज या ऋण वसूलना, सृजित करना या बढ़ाना;

(viii) कंपनी की परिसंपत्तियों के सभी या किसी महत्वपूर्ण राशि के निवेश पर किसी प्रतिभूति की बिक्री, पट्टा, विनिमय, बंधक, जमानत, भार या अन्य तैयारी या सृजन;

(ix) शर्तों का निबटान और निदेशकों की नियुक्ति;

(x) कंपनी की वार्षिक व्यावसायिक योजनाओं, वार्षिक खर्च बजट और पूंजीगत खर्च बजट या कोई वास्तविक परिवर्तन या उसका विपथन;

(xi) कंपनी द्वारा नए शेयर जारी करना या नए शेयरों को प्राप्त करने के अधिकार और कंपनी द्वारा अपने सामान्य या अधिमान्य शेयरों का मोचन या खरीद;

(xii) सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों की स्थापना, जहां कंपनी को किसी रियायत अनुबंध की शर्तों के अधीन ऐसा करना आवश्यक है;

(xiii) कंपनी के निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन, सेवानिवृत्ति और अन्य लाभ के लिए नियम और नीतियां तैयार करना;

(xiv) किसी एक केलेण्डर वर्ष में किसी वास्तविक लेखाकरण नीति में बदलाव या किसी वास्तविक परिसंपति का अपलेखन;

(xv) किसी शेयरधारक, और / या इसकी सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों, तकनीकी सेवा अनुबंधों सहित, के साथ अनुबंधों के बारे में बातचीत, निष्पादन और / या संशोधन; और

(xvi) कंपनी के बाहरी लेखाकार (लेखाकारों) की नियुक्ति, बदलना या हटाना;

(xvii) कंपनी के वित्तीय विवरण की पुष्टि और स्वीकृति;

(xviii) कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं दरों या मूल्यों में बदलाव करना या निर्धारित करना या इस उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र दर / मूल्य समिति का गठन करना।

(xix) इसके उचित प्रबंधन के लिए कंपनी के विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति।

12.6 बोर्ड आकस्मिक रिक्तियों को भर सकता है

क) यदि कोई निदेशक, आम सभा में कंपनी द्वारा नियुक्त, सामान्य ढंग से अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व निदेशक के पद को खाली करता है, परिणामी आकस्मिक रिक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा भरा जा सकता है लेकिन इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति केवल उतने समय तक ही पद पर बना रहेगा जब तक कि पद खाली करने वाला निदेशक बना रहता, यदि ऐसी कोई रिक्ति नहीं हुई होती।

ख) यदि किसी आकस्मिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा पद रिक्त होने के बाद कंपनी की आगामी वार्षिक आम सभा की तारीख तक नहीं भरा गया है तो उसे इस प्रकार की वार्षिक आम सभा में सदस्यों के साधारण संकल्प द्वारा भरा जा सकता है।

ग) इसमें उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, जब किसी मनोनीत निदेशक का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है, इस प्रकार की रिक्ति को शेयरधारकों द्वारा नामित केवल उसी व्यक्ति से भरा जाएगा, जिनके मनोनीत निदेशक ने उक्त पद रिक्त किया है।

12.7 अपर निदेशक

उपरोक्त विषय के रूप में, निदेशक मण्डल को किसी भी समय बोर्ड में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निदेशक या निदेशकों के रूप में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा लेकिन ताकि कुल निदेशकों की संख्या किसी भी समय उक्त अनुच्छेदों के अधीन निर्धारित अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार नियुक्त कोई भी निदेशक (निदेशकों) केवल कंपनी की आगामी वार्षिक आम सभा तक ही अपने पद पर बना रहेगा और तब पुन: चुने जाने के लिए पात्र होगा।

12.8 किसी वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति

कंपनी का निदेशक मण्डल किसी निदेशक (जिसे यहां "मूल निदेशक" कहा जाएगा) की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर काम करने के लिए किसी वैकल्पिक निदेशक को नियुक्त कर सकता है, जिसकी अवधि उस तारीख से तीन माह से कम नहीं होगी जिसमें बोर्ड की बैठकें आम तौर पर आयोजिति की जाती हैं। इस अनुच्छेद के अधीन नियुक्त कोई वैकल्पिक निदेशक मूल निदेशक के लिए अनुमन्य अवधि से अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रहेगा, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है और जब भी मूल निदेशक उस स्थिति में लौट आता है तो वह पद को रिक्त करेगा। यदि मूल निदेशक की कार्य अवधि उसके उस स्थिति में लौट आने से पूर्व निर्धारित की जाती है, अन्य नियुक्ति की चूक में सेवानिवृत्त हो रहे निदेशकों की स्वत: पुन: नियुक्ति के लिए अधिनियम अथवा उक्त दस्तावेजों में कोई उपबंध मूल निदेशक पर लागू होगा और न कि वैकल्पिक निदेशक पर। यदि किसी वैकल्पिक निदेशक निदेशक की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के स्थान पर की जाती है, ऐसा निदेशक भी अधिनियम के अधीन निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करेगा।

12.9 अध्यक्ष

क. कंपनी का अध्यक्ष मंडलीय आयुक्त / कलेक्टर / नगर आयुक्त / शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

ख. अध्यक्ष को पूरी तरह से इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है।

ग. अध्यक्ष ऐसे समय के लिए और ऐसे नियमों और शर्तों और इस अधिनियम के अधीन निर्धारित शर्तों के आधार पर अपने पद पर बना रहेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो।

घ. अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद एक ही व्यक्ति द्वारा धारित नहीं किया जाएगा।

12.10 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक: अधिनियम की धारा 203 के उपबंधों के अधीन कंपनी निम्नलिखित मुख्य कार्मिकों को नियुक्त करेगी: -

क. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(i) कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार के अनुमोदन से की जाएगी।

(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति 03 वर्षों की नियत अवधि के लिए की जाएगी और उसे शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके पद से हटाया जा सकता है।

(iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

(क) पर्यवेक्षण और बोर्ड के नियंत्रण के अधीन कंपनी के दैनिक कार्यों के सामान्य संचालन की देखरेख और प्रबंधन।

(iv) कंपनी के कार्यों के सामान्य कार्यप्रणाली के अंतर्गत सभी मामलों में कंपनी के लिए और कंपनी की ओर से अनुबंध या प्रबंध में शामिल होना।

(v) निदेशक मण्डल को एक मानव संसाधन नीति तैयार और प्रस्तुत करना, जिसमें कर्मचारियों की स्थिति के सृजन, कर्मचारियों की योग्यता, भर्ती प्रक्रियाएँ, क्षतिपूर्ति और समाप्ति की प्रक्रियाओं के लिए प्रणालियाँ निर्धारित की जाएंगी।

(vi) कंपनी के वरिष्ठ प्रबन्धकों की भर्ती और उनको हटाना और कंपनी के अनुमोदित बजट के अनुरूप नए पदों का सृजन और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानव संसाधन नीति के अनुरूप कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के लिए भर्ती।

(vii) कंपनी के सभी कर्मचारियों और प्रबंधकों के कार्य का पर्यवेक्षण और उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और प्राधिकरण का निर्धारण।

ख. कंपनी के क्रियाकलापों से संबंधित बोर्ड द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

ग. मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति निदेशक मण्डल द्वारा की जाएगी।

12.11 अर्हता शेयर

निदेशकों (मनोनीत निदेशकों सहित) को किसी प्रकार के शेयरों या अर्हता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

12.12 निदेशक का पद कब रिक्त किया जाएगा

(i) उक्त अनुच्छेदों और अधिनियम की धारा 167 के उपबंधों के अधीन, किसी निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा यदि;

(ii) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का पाया जाता है; या

(iii) वह दिवालिया होने का निर्णय लेने के लिए आवेदन करता है; या

(iv) उसे दिवालिया घोषित किया गया है; या

(v) वह अपने द्वारा धारित, चाहे अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से, कंपनी के शेयरों के संबंध में उससे की गई किसी मांग का भुगतान, मांग के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तारीख से 06 माह के अंदर करने में असफल हो जाता है, जब तक केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रकार की असफलता द्वारा हुई अयोग्यता को हटा सकता है; या

(vi) अधिनियम की धारा 188 के उल्लंघन में उसके द्वारा कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी के अधीन किसी पद या लाभ का पद धारित किया हुआ है; या

(vii) वह निदेशक मण्डल की लगातार तीन बैठकों या तीन माह तक लगातार निदेशक मण्डल की बैठकों में अनुपस्थित रहा / रही है, जो कोई भी अधिक हो; या

(viii) वह अधिनियम की धारा 23 के अधीन न्यायालय के किसी आदेश द्वारा अयोग्य हो जाता है; या

(ix) वह (चाहे वह स्वयं या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या अपने कारण) या किसी फर्म जिसमें वह कोई साझीदार है या किसी निजी कंपनी जिसमें वह निदेशक है, से अधिनियम की धारा 185 के उल्लंघन में किसी कंपनी से ऋण स्वीकार करता / करती है या किसी ऋण की गारंटी या प्रतिभूति स्वीकार करता / करती है है; या

(x) वह अधिनियम की धारा 184 का उल्लंघन करता है; या उसे किसी अदालत द्वारा नैतिक पतन के किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके संबंध में कम से कम 06 माह की सजा सुनायी गई हो; या उसे कंपनी में किसी पद धारण या अन्य नियोजन के कारण निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो, कंपनी में इस प्रकार के पद या अन्य नियोजन के लिए रोक दिया गया हो। अधिनियम के उपबंधों के अधीन, कोई निदेशक कंपनी या निदेशक मण्डल को संबोधित लिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है / सकती है।

12.13 इच्छुक निदेशक बोर्ड की कार्यवाहियों में भाग नहीं ले सकते अथवा मत नहीं दे सकते

(i) कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में अपने पद के कारण, किसी चर्चा में भाग नहीं लेगा, या मतदान नहीं करेगा, या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी अनुबंध या व्यवस्था में शामिल नहीं होगा, यदि वह किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, अनुबंध या व्यवस्था से संबद्ध या इच्छुक है, न ही उसकी उपस्थिती की गणना इस प्रकार की किसी चर्चा या मतदान के समय गणपूर्ति के उद्देश्य के लिए की जाएगाई; और यदि वह मतदान करता है / करती है, उसका मत अमान्य होगा, बशर्ते कि यह प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा;

(ii) किसी हानि के सापेक्ष किसी क्षतिपूर्ति के अनुबंध के लिए, जो निदेशक या उनमें से कोई एक या उससे अधिक लोग कंपनी के लिए प्रतिभूति बनने या होने के कारण कोई नुकसान हो सकता है।

(iii) किसी सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी के साथ निष्पादित किया गया अनुबंध अथवा

करार, जो किसी सार्वजनिक कंपनी कि कोई सहायक कंपनी है, जिसमें निदेशक का हित केवल (क) इस प्रकार की कंपनी में उसके निदेशक होने के नाते है, और उसमें इतनी संख्या या मूल्य के शेयरों से अधिक का वह धारक नहीं है, जैसा कि उसके निदेशक के रूप में उसकी नियुक्ति के लिए उसे योग्य होने की अर्हता है, उसे कंपनी द्वारा इस तरह के निदेशक के रूप में नामित किया गया होता, (ख) उसके धारक सदस्य होने के नाते इसके भुगतान की शेयर पूंजी 2 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(iv) यदि अधिनियम की धारा 184 के अधीन कोई अधिसूचना जारी कर दी गई है, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमा तक।

12.14 निदेशक मण्डल द्वारा केवल बोर्ड की बैठक में प्रयोग में लायी जानी वाली कुछ शक्तियां

(i) उनके शेयरों पर भुगतान न की गई राशि के संबंध में शेयरधरकों से मांग करना;

(ii) धारा 68 के अधीन प्रतिभूतियों को वापस खरीदने के लिए अधिकृत करना;

(iii) प्रतिभूतियाँ जारी करना, इसमें ऋणपत्रक भी शामिल हैं, चाहे वे भारत में हो या भारत के बाहर;

(iv) धन उधर लेना;

(v) कंपनी की निधियों का निवेश करना;

(vi) ऋण प्रदान करना या ऋणों के संबंध में गारंटी देना या प्रतिभूति उपलब्ध कराना;

(vii) वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट को अनुमोदित करना;

(viii) समामेलन, विलय और पुनर्निर्माण को अनुमोदित करना;

(ix) किसी कंपनी को कब्जे में लेना या अन्य कंपनी का अधिग्रहण या नियंत्रण या पर्याप्त भागीदारी प्राप्त करना;

(x) अन्य कोई मामला जो निर्धारित किया जाए:

(xi) बशर्ते कि बोर्ड, बैठक में संकल्प पारित करके, धारा (iv) से (vi) में विनिर्दिष्ट शक्तियों को ऐसी शर्तों पर, जैसा की उल्लेख हो, निदेशकों की किसी समिति, प्रबंध निदेशक, कंपनी प्रबंधक या कोई अन्य प्रमुख अधिकारी या कंपनी के शाखा कार्यालय के मामले में, शाखा कार्यालय के प्रमुख अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है:

(xii) उक्त दस्तावेजों में शक्तियों को प्रत्यायोजित करने संबंधी प्रत्येक संकल्प में, कुल राशि जितना ऋण प्रतिनिधियों द्वारा दिया जा सकता है, उद्देश्य जिसके लिए ऋण दिया जा सकता है, और व्यक्तिगत मामलों में प्रत्येक ऐसा उद्देश्य, का उल्लेख किया जाएगा;

(xiii) इस अनुच्छेद में निहित कोई भी बात इसमें उल्लिखित किसी भी अधिकार को निदेशकों द्वारा उपयोग करने के प्रतिबंध और शर्तों को अधिरोपित करने के लिए आम सभा में कंपनी के अधिकारों को प्रभावित की हुई नहीं मानी जाएगी।

12.15 बोर्ड की समितियां

बोर्ड को उप - समितियां गठित करने और कंपनी के शासन से संबन्धित किसी भी मामले के संबंध में बोर्ड के अधिकार ऐसी उप - समिति (समितियों) को प्रत्यायोजित करने का अधिकार होगा। उक्त अधिनियम और दस्तावेजों के अधीन, बोर्ड अपने सदस्यों में से एक या अधिक समितियों का गठन करेगा जिनको बोर्ड द्वारा अन्यथा शुरू किए गए विशिष्ट कार्यों के निबटान के लिए ज़िम्मेदारी दी जाएगी और उनको गठित करने के समय ऐसी समितियों को बोर्ड अधिकार देता है। प्रत्येक समिति अपने कार्यों के निर्वहन के लिए पालन किए जाने वाली कार्यप्रणाली का निर्धारण करेगी। ऐसी समितियों में शामिल होंगे:

(i) लेखा परीक्षा समिति (कंपनी के लेखों को अनुमोदित करने हेतु);

(ii) वित्त समिति (वित्तीय योजना में कोई प्रस्तावित संशोधन सहित वित्तीय मामलों के अनुमोदन हेतु);

(iii) अधिनियम की धारा 178 और सेबी विनियम 2015 की धारा 19 के अधीन नामांकन और पारिश्रमिक समिति (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)। नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन या उससे अधिक गैर - कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें

से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे।

(iv) सेबी विनियम 2015 की धारा 21 के (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधीन जोखिम प्रबंधन समिति। बोर्ड जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों को निर्धारित करेगा और समिति को जोखिम प्रबंधन योजना की मॉनिटरिंग और समीक्षा कार्य और ऐसे अन्य कोई कार्य जिन्हें वह उचित समझता है, सौंप सकता है। समिति का बहुमत उक्त समिति के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन समिति का अध्यक्ष निदेशक मण्डल को कोई सदस्य होगा।

(v) क्षतिपूर्ति समिति (कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक और क्षतिपूर्ति का अनुमोदन या प्रस्ताव रखना);

(vi) शेयर हस्तांतरण और आवंटन समिति (शेयरों के आवंटन और उसके किसी और सभी हस्तांतरणों को अनुमोदित करना); और

(vii) ऋणदाताओं द्वारा अपेक्षित, परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति के पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग के उद्देश्य के लिए परियोजना प्रबंधन समिति।

(viii) समिति की बैठकें और कार्यवाहियाँ, इसमें उल्लिखित के सिवाय, बोर्ड की बैठकों और कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए इसमें उल्लिखित उपबंधों द्वारा शासित होंगी, जहां तक कि वे इसके सिवाय लागू हैं और बोर्ड द्वारा निर्मित किसी भी विनियम द्वारा उनका अधिक्रमण नहीं किया गया है।

(ix) समिति बैठकों के सभी कार्यवृत्त, उनके अनुसरण में की गई कार्रवाई सहित, बोर्ड की तुरंत बाद की बैठक के समक्ष रखे जाएंगे।

12.16 समिति के अधिनियम

बोर्ड द्वारा निर्मित विनियमों के अनुरूप बोर्ड किसी समिति द्वारा किए गए सभी कार्यों और उस उद्देश्य को पूरा करने में जिसके लिए समिति का गठन किया गया है लेकिन अन्यथा नहीं, का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो कि वे बोर्ड द्वारा किए गए हों।

12.17 निदेशकों का पारिश्रमिक

उसकी सेवाओं के लिए निदेशकों का अधिकतम पारिश्रमिक ऐसी राशि होगी, उसके द्वारा निदेशक मण्डल कि प्रत्येक बैठक में भाग लेने लिए जैसा कि अधिनियम में या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो। निदेशक को इसके अतिरिक्त ऐसा पारिश्रमिक दिया जाएगा, जैसा कि कंपनी द्वारा समय-समय पर आम सभा में निर्धारित किया जाए और ऐसे अतिरिक्त पारिश्रमिक को निदेशकों के बीच ऐसे अनुपात और ढंग से बांटा जाएगा जैसा कि निदेशक मण्डल समय-समय पर निर्धारित करेगा।

12.18 निदेशकों को पद से हटाना

अधिनियम की धारा 169 के उपबंधों के अधीन, कंपनी किसी भी निदेशक (केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को छोड़कर) को कार्यालय अवधि की समाप्ति से पूर्व हटा सकती है और उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति तब तक निदेशक के पद पर बना रहेगा जब तक कि वह व्यक्ति बना रहता जिसके स्थान पर उसको नियुक्त किया गया है, यदि उसे पद से नहीं हटाया गया होता।

12.19 निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारी की सूचना

(i) अधिनियम की धारा 160 और उक्त दस्तावेजों के उपबंधों के अधीन, कोई व्यक्ति जो कोई सेवानिवृत्त होने वाला निदेशक नहीं है, किसी आम सभा में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि वह या कोई सदस्य उसको प्रस्तावित करने का इच्छुक है,कंपनी के कार्यालय में बैठक आयोजन के 14 दिनों से पूर्व, उस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की सूचना देते हुए अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखित में कोई नोटिस दिया है, एक लाख रुपये या उससे अधिक कोई राशि, जैसा कि निर्धारित किया जाए, की जमा राशि, जिसे ऐसे व्यक्ति या सदस्य को वापस किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, यदि प्रस्तावित व्यक्ति निदेशक के रूप में चुन लिया जाता है या डाले गए कुल वैध मतों, चाहे हाथ उठाकर या ऐसे संकल्प पर चुनाव द्वारा, के 25 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करता है।

(ii) प्रत्येक व्यक्ति (चक्रण या अन्यथा द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे किसी निदेशक के अलावा या कोई

व्यक्ति जिसने एक निदेशक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की सूचना देते हुए धारा 160 के अधीन कंपनी के नोटिस पर पद छोड़ दिया है) निदेशक के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रस्ताव रखता है, हस्ताक्षर करेगा और निदेशक, यदि नियुक्ति हो जाती है, के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी को लिखित में अपनी सहमति देगा, निदेशक के सिवाय कोई व्यक्ति चक्रण द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद या अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने के तुरंत बाद पुन नियुक्त कर लिया जाता है; या कोई अपर या वैकल्पिक निदेशक या अधिनियम की धारा 266 के अधीन निदेशक की कोई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, उसकी कार्यालय अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है या किसी अपर या वैकल्पिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है; या इसके अनुच्छेदों के अधीन पहले पंजीकृत के रूप में कंपनी के निदेशक के रूप में नामित व्यक्ति कंपनी के निदेशक के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह अपनी नियुक्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपनी सहमति रजिस्ट्रार को नहीं देता।

12.20 बोर्ड या समिति के कार्य दोषपूर्ण या नियुक्ति आदि के होते हुए भी वैध

बोर्ड की किसी बैठक या बोर्ड की किसी समिति या निदेशक के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य किसी बात के होते हुए भी कि यदि बाद में यह जानकारी मिलती है कि ऐसे निदेशक या उपरोक्त के रूप में कार्य करने वाले समिति सदस्य की नियुक्ति में कोई चूक हुई थी या कि वे या उनमें से कोई व्यक्ति अयोग्य था या थे या पद छोड़ दिया गया था या कि उनमें से किसी की नियुक्ति अधिनियम या उक्त दस्तावेजों में निहित किसी प्रावधान के कारण समाप्त कर दी गई थी, उसी प्रकार वैध रहेगी जैसे कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति विधिवत नियुक्त किया गया था और निदेशक बनने के योग्य था और उसने पद नहीं छोड़ा था या उसकी नियुक्ति को समाप्त नहीं किया गया था; बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कोई भी बात निदेशक द्वारा अपनी नियुक्ति के बाद किए गए कार्यों को वैधता प्रदान करने के लिए, जो कंपनी को अवैध दर्शाया गया है या समाप्त किया गया है, मान लिया जाएगा।

13. निदेशकों का चक्रानुक्रम

13.1 चक्रानुक्रम द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति

(i) जिन व्यक्तियों की कार्यालय अवधि की समाप्ति सेवानिवृत्ति द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा होगी कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या के दो तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए, और अधिनियम और आर्टिकलों में प्रदत्त अन्य स्पष्टों के रूप में सुरक्षित करें।

(ii) शेष निदेशकों को इन आर्टीकलों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

(iii) आम बैठक जिसमें प्रथम निदेशक को नियुक्त किया था और इसी प्रकार की प्रत्येक आम बैठक की तिथि के बाद कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई, इस प्रकार के निदेशक कुछ समय के लिए रोटेशन द्वारा रिटायर करने के लिए उत्तरदायी हैं अथवा यदि उनका नम्बर 3 या 3 से गुणित हो तो नम्बर एक तिहाई के समीप होगा, किन्तु एक तिहाई से अधिक नहीं है तो पद से सेवानिवृत्त होंगे।

(iv) स्वतंत्र निदेशक चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

13.2 चक्रानुक्रम द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति की पहचान एवं पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता

अधिनियम के भाग 152 (6)(डी) के विषय हेतु, हर वार्षिक आम बैठक में पूर्वगामी अनुच्छेद के तहत चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए निदेशकों वे होने चाहिए जो कार्यालय में अपनी विगत नियुक्ति से अब तक सबसे लम्बे समय से हैं किन्तु, उन लोगों के बीच से हो जो उसी दिन निदेशक बने थे, जो लोग सेवानिवृत्त हो रहें हैं, स्वमेव या उनके बीच किसी भी प्रकार का अनुबंध होने पर संख्या के आधार पर निर्धारित किए जाएंगें। एक सेवा निवृत्त होने वाला निदेशक बैठक के समापन तक कार्यालय में बना रहेगा जिसमें उसकी पुनर्नियुक्ति तय की जाएगी या उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। सेवानिवृत्त निदेशक फिर से नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

13.3 कंपनी द्वारा उत्तराधिकारियों की नियुक्ति

अधिनियम के उपबंधों के अधीन, वार्षिक आम बैठक जिस में एक निदेशक पूर्वकथित ढ़ंग से सेवानिवृत्त होता है, बैठक में सदस्यों की उपस्थिति उनके अधीन निदेशकों को नियुक्त करने के

अधिकार के अनुसार हो सकती है, रिक्त कार्यालय को सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों अथवा किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव करके भरा जाएगा।

13.4 नियुक्ति को नहीं भरे जाने की स्थिति हेतु प्रावधान

यदि सेवानिवृत्त निदेशक के स्थान को भरा नहीं जाता है और बैठक में रिक्ति को भरने के लिए स्पष्ट हल नहीं किया जाता है तो बैठक अगले सप्ताह में उसी दिन उसी समय और स्थान के लिए स्थगित कर दी जाएगी, या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश है तो अगले दिन तक उसी समय और स्थान के लिए जो सार्वजनिक अवकाश न हो। यदि स्थगित बैठक में भी सेवानिवृत्त के स्थान को नहीं भरा गया है और उस बैठक में भी स्पष्ट रूप से रिक्ति को भरने के लिए कोई हल नहीं निकाला गया है तो सेवानिवृत्त निदेशक स्थगित बैठक में पुनर्नियुक्त समझा जाएगा, जब तक न हो।

(i) बैठक में या पिछली बैठक में, बैठक व स्थगन हेतु ऐसे निदेशकों की पुनर्नियुक्त के लिए एक प्रस्ताव रखा गया, सेवानिवृत्त निदेशक कंपनी या इसके निदेशक मंडल को लिखित में एक नोटिस के द्वारा फिर से नियुक्त किए जाने की इच्छा व्यक्त कर सकता है, वह पात्र नहीं है या नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, प्रस्ताव चाहे विशेष हो या साधारण अधिनियम के किसी भी प्रस्ताव की विशेषता के द्वारा नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए आवश्यक है, अधिनियम की अनुसूची 162 की उप - अनुसूची (2) के प्रावधान हेतु।

14. बोर्ड की बैठकें

व्यापार के प्रेषण के लिए निदेशक बैठक कर सकते हैं, स्थगित और अन्यथा अपनी बैठक को जारी रख सकते हैं एवं और उनको सही लगने तक कार्यवाही कर सकती हैं

14.1 बोर्ड की बैठकों की बारम्बारता

(i) बोर्ड आवश्यक समझे जाने अनुसार ऐसे समय और ऐसी जगह पर एकत्रित होंगे (चाहे भारत या विदेश में), जब तक सभी निदेशक सहमत न हो जाएं अन्यथा लिखित में होने पर बोर्ड की बैठक कम से कम प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जानी चाहिए।

(ii) प्रतिलिपि द्वारा कम से कम 7 दिन पूर्व (विचार प्राप्त होने एवं बैठक की तारीखों को छोड़ कर) सभी निदेशकों (यदि निदेशक भारतीय गणराज्य से बाहर रहते हैं तो पंजीकृत एअरमेल, ई - मेल या प्रतिलिपि), उनके विकल्पों एवं भारत में उनके स्थानीय वकीलो (जिनका पता कंपनी की बोर्ड बैठक बुलाने के लिए लिखित में अधिसूचित किया गया है) को लिखित में सूचित करना होगा, और केवल उस घटना को छोड़कर जिसमें कोई भी निदेशक, (यथोचित कार्य कर रहे हों एवं अच्छे विश्वास में हो) इस तरह की सूचना चर्चा किए जाने हेतु उचित विस्तृत मामले में सेट करके बनाए गए एक कार्यसूची द्वारा किया जाएगा, समझो कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि जिसके लिए कम समय के नोटिस पर एक बैठक आयोजित करनी पड़े, जैसा कि पूर्वकथित है इस मामले में ऐसे निदेशक 7 दिन से कम समय के पूर्व लिखित सूचना द्वारा सचिव को बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए कहा सकता है।

14.2 बोर्ड की बैठकों का स्थान

बोर्ड बैठक मुख्य रूप से कार्यालय पर अथवा बोर्ड के निदेशकों द्वारा आपसी सहमति निर्धारित किये गये अन्य स्थान पर आयोजित की जाए। सभी बोर्ड बैठकों में व्यक्ति द्वारा भाग लिया जाए, यदि एवं जब भी अनुमति प्रदान की जाए तो बैठक में टेलीफोन कॉन्फ्रेन्स कॉल या वीडियो कान्फ्रेन्सिंग द्वारा भाग ले सकते हैं जहां पर बैठक में भाग लेने वाला प्रत्येक निदेशक बैठक में भाग लेने वाले सभी निदेशकों को सुन सके, उपलब्ध कराया जाता है कि इस प्रकार की टेलीफोनिक बोर्ड बैठक में उपस्थित प्रत्येक निदेशक को नाम से पुकारा जाए और ऐसे निदेशकों के मौखिक जवाबों का दस्तावेजीकरण किया जाए। जहां पर कोई निदेशक का टेलीफोन संपर्क विच्छेद हो जाता है या बिगड़ जाता है तो इस प्रकार की प्रभावित बोर्ड बैठक संपर्क विच्छेदन के उस समय के दौरान स्थगित समझी जाएगी। इस प्रकार की कोई भी बोर्ड बैठक के अंत में प्रत्येक प्रतिभागी को मौखिक तौर पर पुष्टि करनी होगी कि इसमें कोई भी टेलीफोनिक हस्तक्षेप या संपर्क विच्छेदन नहीं था और सभी प्रतिभागी सदस्यों को यह पुष्टि करनी होगी कि इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी स्थगन नहीं समझा जाएगा।

14.3 कोरम (गणपूर्ति)

(i) किसी भी बोर्ड बैठक में कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि शुरूआत में और बैठक के दौरान कोरम उपस्थित न हो। बोर्ड की बैठक के लिए कोरम इसकी कुल संख्या का एक तिहाई (किसी भी निहित अंश में एक तिहाई को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा) या दो निदेशक होगा, जो भी अधिक हो। अपर्याप्त कोरम के कारण बैठक आयोजित करने में विफलता के मामले में बैठक को उसी दिन समान समय तक अगले सप्ताह या बाद की कोई अन्य तारीख के लिए स्थगित किया जाएगा और इसके के लिए सभी निदेशकों को सूचित किया जाएगा।

(ii) यदि इस प्रकार की बैठक में, बैठक के लिए नियत समय के डेढ़ घंटे के अंदर कोरम उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित निदेशक कोरम का गठन करेंगें और इस प्रकार की बैठक की कार्यसूची में प्रदर्शित बची हुई मदों के लिए ही कार्रवाई सीमित होगी और कार्यसूची में निर्धारित विशिष्ट मामलों के अलावा कोई भी सामान्य मामलों पर चर्चा नहीं होगी। यदि एक बोर्ड बैठक चाहे गए कोरम के लिए आयोजित नहीं की जा सकती है तो सभी निदेशकों को सूचित करके बैठक उसी दिन अगले सप्ताह के लिए समान समय और स्थान के लिए स्वतः ही स्थगित हो जाएगी या यदि उस दिन कार्यदिवस नहीं है तो किसी अन्य समय, दिनांक, या स्थान के लिए। यदि इस प्रकार की स्थगित बैठक में, बैठक के लिए नियत समय के डेढ़ - घंटे के अंदर कोरम उपस्थित नहीं होता है तो स्थगित बैठक में बोर्ड की कुल संख्या का एक तिहाई या दो निदेशक, जो भी अधिक हो, इस प्रकार की स्थगित बैठक को प्रस्तुत करेंगें एवं कोरम का गठन करेंगें (और यदि इसका परिणाम एक दशमलव में आता है उस दशमलव को निकटतम पूर्ण अंक से पूर्णांकित किया जाएगा)।

(iii) बोर्ड द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को बैठक में उपस्थित निदेशकों की एक बहुमत के सकारात्मक वोट द्वारा विधिवत और सप्रमाण संकल्प द्वारा ग्रहण किया जाना होगा, चाहे हाथ दिखाकर या किसी अन्य रूप में प्रस्ताव को सहमति द्वारा।

(iv) अधिनियम के अधीन, बोर्ड या समिति द्वारा तय किया गया कोई भी मामला एक परिपत्र प्रस्ताव के रूप द्वारा तय किया जाना चाहिए, जहां पर मसौदा प्रस्ताव सभी निदेशकों को

वितरित किया जाना चाहिए या किसी मामले में समिति के सभी सदस्यों को एवं उस पर निदेशकों की सहमति लेनी चाहिए और किसी मामले में समिति के सदस्यों की भी।

15. आम बैठक

15.1 वार्षिक अथवा सामान्य आम बैठक

(i) अधिनियम की अनुसूची 96 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी प्रत्येक वर्ष अन्य बैठकों के अरिक्ति एक बैठक आयोजित करेगी और इस तरह की बैठक में बुलाने के लिए सूचना देगी एवं वार्षिक आम बैठक के आयोजित होने की तिथियों के बीच 15 महीनों से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए।

प्रदान किया जाता है कि किसी कारणवश प्रथम वार्षिक आम बैठक कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के बंद होने से नौवें माह में और अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष के बंद होने की तारीख से छः माह के अंदर आयोजित की जाती हैः

इसके अलावा प्रदान किया जाता है कि पूर्वकथित अनुसार प्रथम वार्षिक आम बैठक आयोजित की जाती है तो यह आवश्यक नहीं है कि अन्य वार्षिक आम बैठक भी गठित किए हुए वर्ष के अनुसार ही आयोजित की जाएं:

यह भी प्रदान किया जाता है कि प्रथम वार्षिक आम बैठक के अलावा रजिस्ट्रार किसी भी विशेष कारण के लिए आयोजित की जाने वाली अन्य वार्षिक आम बैठक के समय को कुछ समय के लिए किन्तु तीन माह से अधिक समय न होने तक के लिए बढ़ा सकता है।

(ii) प्रत्येक वार्षिक आम बैठक कार्यालय समय जो सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक है, के दौरान किसी भी दिन जब सार्वजनिक अवकाश न हो तब ही बुलाई जाए, और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या शहर, नगर या गांव के अंदर अन्य स्थान पर रखी जाए जहां पर पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

15.2 आम बैठक में भाग लेने का अधिकार

भारतीय कंपनी सेक्रेटरीज संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों - ।। के अनुसार, जो 1 जुलाई, 2015 से लागू है, कंपनी के सभी निदेशकों को शेयरधारकों की सभी बैठकों में भाग लेने चाहिए। यदि कोई निदेशक बैठक में शामिल होने में असमर्थ है तो चेअरमैन को बैठक में इस प्रकार की अनुपस्थिति को समझाना पड़ेगा।

15.3 विशेष आम बैठक का आयोजन

अधिनियम की अनुसूची 100 के प्रावधान के अनुसार, बज कभी भी यह आवश्यक समझा जाए, बोर्ड विशेष आम बैठक बुला सकता है और इसके लिए किसी भी सदस्य द्वारा लिखित में मांग करके बुलाया जा सकता है अथवा एक दसवें से कम की प्रदत्त पूंजी का हिस्सा रखने वाले सदस्य जो उस मामले के संबंध में मत देने का अधिकार रखते हैं वे विशेष आम बैठक की मांग कर सकते हैं।

15.4 आम बैठक की सूचना एवं स्थान

अधिनियम की धारा 101 के तहत दिए अनुसार, जब तक कंपनी के सभी शेयरधारकों की सहमति नहीं हो जाती अन्यथा कंपनी शेयरधारकों की बैठक की कोई भी सूचना प्रत्येक शेयरधारक, निदेशक, लेखापरीक्षकों एवं सचिवीय लेखा परीक्षक को लिखित में बैठक की तिथि से कम से कम इक्कीस (21) को पहुंचाई जानी चाहिए। सहायता के लिए सूचना में बैठक के लिए कार्यसूची होनी चाहिए और संबंधित बैठक के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों का मसौदा तैयार करना चाहिए। किसी भी बैठक में कोई भी व्यापारिक कार्यवाही नहीं होगी या किसी भी मामले पर पारित एक प्रस्ताव का स्वच्छता पूर्वक बैठक की सूचना में खुलासा किया जाएगा।

15.5 नोटिस की विषयवस्तु

कंपनी की बैठक के प्रत्येक नोटिस में स्थान, तारीख और बैठक के घंटे निर्दिष्ट होने चाहिए एवं उसमें की जाने वाली कार्रवाई के विवरण होने चाहिए। किसी भी वार्षिक या विशेष आम बैठक में किसी भी ऐसे मामले को शामिल, चर्चा या कार्रवाई नहीं होगी जिनका विशेष रूप से नोटिस में उल्लेख नहीं किया गया है, या जिसके लिए यह बुलाई गई है उस पर ध्यान रखना चाहिए। अधिनियम की धारा 102 के उपबंधों के अनुसार

(i) आम बैठक में चर्चा किए जाने वाले विशेष कार्रवाई के प्रत्येक मद से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों बुलाई जाने वाली इस प्रकार की बैठक के लिए सूचीबद्व किए जाने चाहिए, उनके नाम हैं:

क. प्रत्येक मद के संबंध में संबंधित या मांग की प्रकृति, वित्तीय या अन्य, यदि कोई है -

- प्रत्येक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई है,
- प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी, और
- ऊपर के उप - खंड में वर्णित व्यक्तियों के रिश्तेदार

ख. अन्य कोई सूचना और तथ्य जो कि सदस्यों को कार्रवाई की मदों का अर्थ, कार्यक्षेत्र एवं उसके परिणामों के बारे में समझा सके और उन पर निर्णय ले सकें।

(ii) उप - खंड 1 के उद्देश्य के लिए,

क. वार्षिक आम बैठक में मामले में, उसमें किए जाने वाले सभी व्यापार विशेष समझे जाएगें, अन्य की अपेक्षा -

- वित्तीय विवरणों पर विचार एवं बोर्ड के निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;
- किसी भी लाभांश की घोषणा;
- सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्तियों के स्थान पर निदेशकों की नियुक्ति;
- लेखापरीक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तय करना; और
- किसी अन्य बैठक के मामले में, सभी कार्रवाई को विशेष समझा जाएगा।

15.6 नोटिस जो लेखापरीक्षकों को दिया जाएगा

अधिनियम की धारा 101 में दिए गए तरीकों के अनुसार कंपनी की प्रत्येक बैठक की सूचना ऑडिटरों या कंपनी के लिए कुछ समय के लिए रखे जाने वाले लेखापरीक्षकों को देनी होगी।

बैठक रद्द करने के लिए सूचना न देने की भूल करने पर

किसी भी बैठक की सूचना देने के लिए आकस्मिक चूक होने पर अथवा किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी सूचना प्राप्त न होने पर, जिसे यह दी जानी चाहिए, बैइक की कार्यवाही को रद्द नहीं करेगा।

15.8 कोरम

अधिनियम की धारा 103 में निर्धारित शर्तों के अधीन यदि बैठक की तिथि तक सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक नहीं है तो कम से कम 5 सदस्यों का कोरम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। निहित समय से एक घंटे के अंदर कोरम का अभाव होता है तो बैठक अगले सप्ताह के लिए समान समय एवं स्थान के लिए स्थगित कर दी जाएगी और स्थगित बैठक के समय भी एक घंटे के अंदर कोरम का अभाव पाया जाता है तो उपस्थित शेयरधारकों का कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि चाहे वो व्यक्ति या प्रोक्सी हो, कोरम को गठन करेगा।

15.9 अध्यक्ष

बोर्ड का अध्यक्ष की प्रत्येक आम बैठक का अध्यक्ष होगा।

15.10 बैठक में कौन से सवाल तय किए जाएंगें

आम बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक प्रश्न को पहले उदाहरण के तौर पर दर्षाया जाना होगा। जब तक निर्वाचन की मांग की जाए तब तक बैठक में एक प्रस्ताव को मतदान के लिए रखने का निर्णय लिया जाएगा।

15.11 मतदान की मांग

दिखाए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर हुए मतदान के परिणाम की घोषणा करने पर या पहले बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने विवेक पर ही एक चुनाव किए जाने का आदेश दिया जा सकता है, एवं अनुमति दिए जाने पर व्यक्ति या प्रोक्सी के रूप में उपस्थित सदस्यों द्वारा इसके निमित्त मांग किए जाने पर उनके द्वारा लिए जाने का आदेश दिया जा सकेगा, और कुल मतदान शक्ति का एक दसवें से कम होने पर अथवा उस पर पांच लाख रुपये से कम की हिस्सेदारी होने पर अथवा अधिनियम

की धारा 109 के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार की निर्धारित उच्चतम राशि को भुगतान किया जाना होगा।

15.12 जनमत चुनाव लेने की अवधि

स्थगन के सवाल पर किसी भी चुनाव की विधिवत मांग को तुरंत लिया जाना चाहिए। किसी भी अन्य प्रश्न पर मांग किया जाने वाला एक चुनाव एक अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित नहीं समझा जाएगा, और जब से मांग की गई है तब से उतना ही समय लेगा जो 48 घंटों से अधिक न हो, जो कि अध्यक्ष द्वारा निर्देशित होगा।

15.13 आम बैठक को स्थगित करने की शक्ति

आम बैठक का अध्यक्ष सहमति के साथ बैठक को समय-समय पर समान समय और स्थान के लिए स्थगित कर सकता है लेकिन बैठक के स्थगन के समय तक अधूरे छूटे व्यापार के अलावा किसी भी स्थगित बैठक में कोई भी व्यापारिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

15.14 इसके बावजूद व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है

जिस प्रश्न पर चुनाव की मांग की जा रही है उसके अलावा किसी भी अन्य व्यापारिक कार्यवाही के लिए एक चुनाव की मांग एक बैठक को जारी रखने से नहीं रोकेगी।

15.15 चुनाव के समीक्षक

(i) जहां पर चुनाव किया जाना है, चुनाव में दिए गए मतों की समीक्षा करने एवं उस पर उसे रिपोर्ट करने के लिए बैठक का अध्यक्ष दो समीक्षकों को नियुक्त करेगा।

(ii) चुनाव के परिणाम की घोषणा से पहले अध्यक्ष को किसी भी समय समीक्षक को कार्यालय से हटाने और इस प्रकार हटाने से उत्पन्न समीक्षक की कार्यालय में रिक्ति को भरने का अधिकार है या किसी भी अन्य कारण से।

(iii) दो समीक्षकों में से, एक को हमेशा एक सदस्य के रूप में (एक अधिकारी के रूप में या कंपनी के कर्मचारी के रूप में नहीं) बैठक में उपस्थित रहना होगा, उपलब्ध कराया जाता है कि इस प्रकार के सदस्य उपलब्ध हों और नियुक्त करने के लिए तैयार हों।

15.16 चुनाव करने के तरीके एवं उनके परिणाम

जिस तरह से चुनाव किया जाना है उन तरीकों को लागू करने की शक्ति बैठक के अध्यक्ष को है। प्रस्ताव जिस पर चुनाव किया गया था उस चुनाव का परिणाम बैठक का निर्णय समझा जाएगा।

15.17 बैठक एवं चुनाव में दिए गए मतों की वैधता के लिए अध्यक्ष एकमात्र निर्णायक होगा।

किसी भी बैठक में अध्यक्ष उस बैठक में दिए गए प्रत्येक मत के लिए एकमात्र निर्णायक होगा। चुनाव लेते समय अध्यक्ष की उपस्थिति इस प्रकार के चुनाव के लिए दिए गए प्रत्येक मत की वैघता के लिए सभी मतों के लिए निर्णायक होगी।

15.18 सदस्य को अपने मत का उपयोग करने हेतु अधिकार

कंपनी की बैठक में लिए जाने वाले चुनाव, एक सदस्य एक से अधिक वोट देने के लिए पात्र है, या उसका प्रोक्सी या अन्य व्यक्ति उसके लिए वोट देने के लिए पात्र है, यदि किसी मामले में उसके वोट की आवश्यकता नहीं है, उसके वोट का उपयोग करता है या उसी तरीके में सभी वोट का उपयोग करता है।

15.19 स्थगित बैठक में पारित प्रस्ताव

जब एक प्रस्ताव एक कंपनी की स्थगित बैठक में पारित किया जाता है, सभी उद्देष्यों के लिए जब से पारित हुआ है उस तिथि से ही पारित माना जाएगा और किसी भी पहले की तारीख से पारित नहीं समझा जाएगा।

16. कार्यवृत्त

16.1 कार्यवृत्त

बोर्ड बैठक के परिणाम की तारीख से 15 दिनों के अंदर बैठक के कार्यवृत्त के मसौदे को सभी सदस्यों कों उनकी टिप्पणियों के लिए भेजना चाहिए। मसौदा कार्यवृत्त के भेजने की तारीख से 7 दिनों के अंदर बोर्ड के सदस्यों को उनकी टिप्पणियां सूचित करना होगा।

कंपनी को प्रत्येक आम बैठक की सभी कार्यवाहियों का कार्यवृत्त तैयार करना होगा एवं इस प्रयोजन के लिए बोर्ड के निदेशकों या प्रत्येक बोर्ड की समिति की बैठक की संपूर्ण कार्यवाही को एक किताब में लिखना होगा, अधिनियम के तहत निर्धारित है। कार्यवृत्त एक प्रस्ताव के लिए प्रत्येक निदेशक / सदस्य के मतदान के विवरण सहित प्रत्येक आम बैठक की वास्तविकता एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या प्रत्येक बोर्ड समिति की बैठक की संपूर्ण कार्यवाही को प्रतिबिम्बित करती है।

16.2 कार्यवृत्त का प्रमाण बन सकता है

ऐसा कोई भी कार्यवृत्त, जहां पर कार्यवाही आयोजित की गई है यदि बैठक के अध्यक्ष द्वारा तात्पर्यिक रूप से या अगली सफल बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवृत्त कार्यवाही का प्रमाण होगा।

16.3 जहां कार्यवत्त विधिवत रूप से हस्ताक्षरित है अनुमान तैयार किया जाना होगा

जहां कंपनी की किसी भी आम बैठक या बोर्ड या निदेशकों की समिति की बैठक का कार्यवृत्त तैयार किसा जाता है और उनकी उपस्थिति एवं अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विधिवत रूप से तैयार एवं हस्ताक्षरित की जाती है, तो जब तक विरोधी साबित नहीं कर देते है, तब तक बैठक को विधिवत रूप से बुलाया एवं आयोजित किया हुआ माना जाएगा, और उससे संबंधित कार्यवाही को विधिवत रूप से किया हुआ माना जाएगा और निदेशकों की सभी नियुक्तियों या तरलीकरण के लिए बैठक को वैघ होगी।

16.4 आम बैठक की कार्यवृत्त पंजिका का निरीक्षण

इसके कॉर्पोरेट कार्यालय के शहर पंजीकृत कार्यालय से अलग होने की स्थिति में प्रमाणीकृत प्रतिलिपि को कॉर्पोरेट कार्यालय में रखने के साथ उपरोक्त कार्यवृत्त की किताब कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखी जानी होगी, बिना किसी शुल्क के निरीक्षण हेतु सभी सदस्यों के लिए खुली होनी चाहिए, जैसा कि अधिनियम की धारा 196 में दिया गया है। किसी भी सदस्य को उसके विभाग से संबंधित किसी भी कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

17. वोट देने का अधिकार

17.1 सदस्यों के वोट

प्रत्येक सदस्य, जो व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्ति के रूप में उपस्थित है, या संघ होने के नाते, एक प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित है उसके पास हाथ दिखाकर एक वोट है। प्रत्येक सदस्य, जो व्यक्तिगत होने के नाते, एक व्यक्ति के रूप में अथवा एक प्रौक्सी के द्वारा अथवा उपस्थित कानून की शक्ति के तहत अधिकृत वकील या संघ होने के नाते एक प्रतिनिधि या उसके प्रोक्सी द्वारा उपस्थित व्यक्ति को कंपनी की इक्विटी पूंजी का भुगतान करके अपने शेयर के अनुपात में चुनाव में वोट करने का अधिकार है।

17.2 प्रौक्सी द्वारा हाथ दिखाकर कोई मतदान नहीं

कोई भी सदस्य जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं है उसको तब तक हाथ दिखाकर वोट देने का अधिकार नहीं होगा जब तक इस तरह के सदस्य कानूनी तौर पर विधिवत अधिकृत वकील द्वारा मौजूद है अथवा जब तक इस तरह के सदस्य एक प्रतिनिधि द्वारा निगमित निकाय द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इस अनुच्छेद में वर्णित वकील या प्रतिनिधि हाथ दिखाकर वोट कर सकता है यदि वह कंपनी का एक सदस्य है।

17.3 प्रतिनिधि या अटॉर्नी द्वारा वोट दिया जा सकता है

अधिनियम के उपबंधों एवं उनकी उपस्थिति के अनुसार व्यक्तिगत तौर पर या कानून की शक्ति के तहत अधिकृत अटार्नी द्वारा या प्रतिनिधि द्वारा या निगमित निकाय के संबंध में अधिनियम की धारा 113 तहत अधिकृत एक प्रतिनिधि द्वारा या निगमित निकाय के इन प्रतिनिधियों के प्रौक्सी द्वारा वोट दिया जा सकता है।

17.4 प्रौक्सी की नियुक्ति के तरीके

प्रौक्सी को नियुक्त करने का तरीका लिखित में होना चाहिए, लिखित में नियोक्ता या कानूनी तौर पर अधिकृत उसके वकील के हाथ में, अथवा इस प्रकार के नियोक्ता एक निगम है तो इसकी आम मुहर अथवा एक अधिकारी के अंगूठे / हाथ में अथवा इसके द्वारा विधिवत अधिकृत एक प्रतिनिधि द्वारा। एक व्यक्ति को वह कंपनी का सदस्य नहीं है के माध्यम से एक प्रोक्सी नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार के प्रतिनिधि को किसी भी बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

17.5 प्रौक्सी को नियुक्त करने के सदस्यों के अधिकार को नोटिस में दिया जा सकता है

कंपनी के बैठक में आयोजित प्रत्येक सूचना दर्शाती है कि एक सदस्य बैठक में भाग लेने एवं एक प्रोक्सी को नियुक्त करने हेतु भाग लेने के लिए वोट देने का अधिकार रखता है, जिसको कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

17.6 प्रौक्सी की कार्यालय में अवस्थिति

प्रोक्सी को नियुक्त करने का तरीका और अटॉर्नी की शक्ति या अन्य प्राधिकार, यदि कोई है, जिसके तहत यह हस्ताक्षरित होता है अथवा अधिकारी की उस शक्ति की प्रमाणित प्रतिलिपि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करनी होगी बैठक आयोजित करने के 48 घंटे से भी कम समय से नहीं पहले, जहां पर चुनाव एवं गलती के मामले में वोट करने के लिए प्रस्तावित तरीके में व्यक्ति का नाम, प्रोक्सी का तरीका वैध नहीं माना जाएगा।

17.7 कब प्रौक्सी द्वारा दिया गया वोट वैध होता, प्राधिकरण के माध्यम से रद्द होता है

एक वोट जो प्रोक्सी के तरीको की शर्तों के अनुसार हो वैध होगा, पहले के सिद्वान्तों को खत्म होते हुए भी या प्रोक्सी का खंडन होते हुए भी या जिसके लिए वोट दिया जा रहा है के संबंध में शेयर का हस्तांतरण, खत्म होने की लिखित में कोई जानकारी न देने पर, खंडन या हस्तांतरण कंपनी के कार्यालय को प्राप्त होना चाहिए अथवा वोट देने से पहले बैठक के अध्यक्ष द्वारा

17.8 प्रौक्सी का प्रारूप

प्रोक्सी का प्रत्येक तरीका, चाहे एक निर्दिष्ट बैठक के लिए हो या अन्य के लिए, जितना हो सके परिस्थितियों को स्वीकृत करने के नजदीक हो, अधिनियम की अनुसूची 9 में निर्दिष्ट प्रपत्र में हो।

17.9 दर्ज कराये गए प्रौक्सी के निरीक्षण के लिए समय एवं स्थान

उस समय के किसी भी प्रस्ताव में उनकी उपस्थिति के प्रावधान के अनुसार कंपनी की बैठक में प्रत्येक सदस्य को वोट करने का अधिकार है, बैठक प्रारंभ होने के 24 घंटे पहले के समय दौरान और बैठक के परिणाम के साथ समाप्त होने तक अधिकार रहेगा, दर्ज कराई गई प्रौक्सी के निरीक्षण के लिए, कंपनी द्वारा प्रदत्त कार्य के घंटे के दौरान किसी भी समय, इस आशय के लिए लिखित रूप

में नोटिस दिया जाए जो कि तीन दिन से कम समय का नहीं हो ताकि कंपनी को निरीक्षण दिया जा सके।

17.10 कंपनी को बुलावा शेष होने पर किसी भी सदस्य को वोट देने की पात्रता नहीं होगी

किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत अथवा प्रौक्सी के माध्यम से, शेयरधारकों के एक वर्ग की आम बैठक में वोट देने की पात्रता नहीं होगी अथवा वोट के दौरान हाथ दिखाने या उसके नाम पर दर्ज किसी भी शेयर के मामले में, जिसके लिए कोई भी बुलावा अथवा उसके द्वारा भुगतान योग्य राशि का भुगतान नहीं किया गया हो अथवा जिसके बारे में कंपनी द्वारा किसी लिएन के अधिकार को निष्पादित किया गया हो।

18. मुहर

18.1 मुहर, इसकी हिरासत और उपयोग -

कंपनी के उद्देश्य के लिए निदेशक मंडल को एक मुहर प्रदान करना होगी और उनके पास शक्ति होगी, समय-समय पर, उसको नष्ट करने पर उसके बदले में नई मुहर बनाने के लिए और कुछ समय के लिए मुहर को सुरक्षित हिरासत प्रदान करना के लिए व, निदेशक मंडल या पहले दी गई समिति के निदेशकों के अधिकारियों के अलावा मुहर का कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक विलेष या अन्य सामग्री जिस पर कंपनी की मुहर लगाई जा रही है, कंपनी के कम से कम एक निदेशक या इस प्रकार के अन्य अधिकारी द्वारा जैसा कि निदेशक मंडल या निदेशक समिति द्वारा इसके निमित्त प्राधिकृत किया जा सकता है हस्ताक्षरित करना होगा, फिर भी प्रदान किया जाता है, कि शेयरों के प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर के तहत होंगे जो समय-समय पर कंपनी के वर्तमान नियमों के द्वारा प्रदान किया गया हो (शेयर प्रमाण पत्र जारी करना)। अधिनियम द्वारा स्पष्ट तौर पर विभिन्न प्रकार से सुरक्षित रखना प्रदान किया जाता है, एक दस्तावेज को कंपनी द्वारा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है जिसको निदेशक या सचिव या बोर्ड द्वारा इसके निमित्त अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और अपनी सील के साथ आवश्यक नहीं है।

19. रजिस्टर

19.1 रजिस्टर

निम्नलिखित रजिस्टरों सहित अधिनियम की आवश्यकतानुसार कंपनी को रजिस्टर रखने एवं व्यवस्थित करने होंगे:

(i) कंपनी द्वारा किए गए निवेश का रजिस्टर, लेकिन यह इसके स्वयं के नाम से नहीं हो, जैसा कि अधिनियम की धारा 187 (3) द्वारा आवश्यक है और बिना किसी शुल्क के कंपनी के किसी भी सदस्य या डिबेन्चर धारक के निरीक्षण हेतु खुला रखना होगा।

(ii) जैसा कि अधिनियम की धारा 88 द्वारा आवश्यक है कि किसी भी क्रेडिटर या कंपनी के सदस्य के निरीक्षण हेतु आरोंपों का रजिस्टर बिना फीस के है एवं प्रत्येक निरीक्षण के लिए व्यक्ति को रु.10 / - का भुगतान करना होगा।

(iii) अधिनियम की धारा 88 के तहत सदस्यों के रजिस्टर होगें एवं बिना शुल्क के सदस्यों और डिबेन्चर धारक के लिए निरीक्षण हेतु खुले रहेंगें और जब रजिस्टर बंद हो जाएगा केवल तब अन्य व्यक्ति के लिए, प्रत्येक निरीक्षण के लिए रु.10 / - की फीस का भुगतान करना होगा।

(iv) अधिनियम की धारा 88 के तहत ऋणपत्र धारकों (डिबेंचर होल्डर) के रजिस्टर होगें और बिना शुल्क के सदस्यों और डिबेन्चर धारक के लिए निरीक्षण हेतु खुले रहेंगें और जब रजिस्टर बंद हो जाएगा केवल तब अन्य व्यक्ति के लिए, प्रत्येक निरीक्षण के लिए रु.10 / - की फीस का भुगतान करना होगा।

(v) जैसा कि धारा 189 के द्वारा आवश्यक है, अनुबंध के लिए रजिस्टर जिसमें निदेशक हितबद्व हैं, को बिना किसी शुल्क के किसी भी सदस्य हेतु निरीक्षण के लिए खुला रखना होगा।

(vi) निदेशकों एवं सचिवों के रजिस्टर, जैसा कि अधिनियम की धारा 170 के द्वारा आवश्यक है और कंपनी को किसी भी सदस्य के लिए बिना किसी शुल्क के किसी भी सदस्य हेतु निरीक्षण के लिए खुला रखना होगा एवं अन्य व्यक्ति के लिए, प्रत्येक निरीक्षण हेतु रु.1 / - की फीस का भुगतान करना होगा।

(vii) धारा 203 के तहत प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) का रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर।

(viii) जैसा कि अधिनियम की धारा 170 के तहत आवश्यक है कंपनी में शेयर एवं डिबेन्चर के निदेशकों द्वारा होल्डिंग के रूप में रजिस्टर और कंपनी के किसी भी सदस्यों और डिबेन्चर धारक के लिए निरीक्षण हेतु किसी भी कार्यालय दिवस पर खुले रहेंगें, कंपनी की वार्षिक आम बैठक की तिथि के 14 दिन पहले के समय के दौरान चालू होकर एवं इसके परिणाम की तिथि के 3 दिन बाद बंद होगें।

(ix) अधिनियम की धारा 186 के अनुसार निगम निकाय के शेयर एवं ऋणपत्र में निवेश हेतु रजिस्टर।

(x) अधिनियम की धारा 129 के उपबंधों के अनुसार खाते की बहियाँ।

(xi) किसी भी आरोपों के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन हेतु निर्माण करने वाली सामग्री की प्रतिलिपि, अधिनियम की धारा 85 के अनुसार।

(xii) अधिनियम की धारा 92 के तहत तैयार प्रमाणपत्र की प्रतिलिपियों के साथ वार्षिक रिटर्न की प्रतिलिपि और अधिनियम की धारा 92 के तहत उनके लिए संलग्न कराए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज।

(xiii) कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेन्चर) 2014 के नियम के अनुसार रिन्यूव्ड एवं डुप्लीकेट का रजिस्टर

(xiv) अधिनियम के तहत निर्धारित अन्य सांविधिक रजिस्टर।

(xv) उपरोक्त रजिस्टरों में प्रविष्टियों की प्रतियां उसके लिए हकदार व्यक्तियों हेतु प्रत्येक 100 शब्दों के लिए रु.1 / - के भुगतान पर प्रस्तुत होंगी या आंशिक भाग जिसके लिए प्रतिलिपि की आवश्यकता है। हकदार व्यक्ति को केवल शनिवार को छोड़कर किसी भी कार्यालयीन दिवस पर दोपहर में 3 से 5 बजे के बीच कंपनी को उपरोक्त रजिस्टरों का निरीक्षण देना होगा। इसके कॉर्पोरेट कार्यालय के शहर पंजीकृत कार्यालय से अलग होने की स्थिति में

कंपनी को उपरोक्त रजिस्टरों के लिए रिकॉर्ड एवं रखरखाव को अलग से अपने पंजीकृत कार्यालय में रखना होगा, उपरोक्त रजिस्टरों की प्रमाणित एवं मूल प्रतियों को अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में रखना एवं मेन्टेन करना होगा।

20. लाभांश

20.1 लाभांश

i. शेयरधारक को प्रापण करना होगा कि लाभांश की घोषणा करने के संबंध में बोर्ड द्वारा कोई भी निर्णय लेने और अधिशेष के विनियोग करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार करना होगाः

(i) भविष्य कार्यशील पूंजी के लिए भत्ता, कर के लिए प्रावधान और स्थानीय कानून द्वारा आवश्यक अन्य प्रतिबंध सहित मितव्ययी एवं उचित भंडारों का रखरखाव;

(ii) कंपनी के सभी वास्तविक एवं आगे बढ़ने वाले घाटों के लिए बकाया एवं मितव्ययी प्रावधान;

(iii) शेयरधारकों या बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित लेनदार के रूप में कंपनी द्वारा लिए गए सभी ऋणों, उधारियों एवं लोन के भुगतान के लिए बकाया एवं मितव्ययी प्रावधान; एवं

(iv) अन्य कारक जिन्हें शेयरधारक संज्ञान में लेने के लिए राजी हो।

ii. बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए किसी भी लाभांश को शेयरधारक प्राप्त करेंगें एवं शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित करना और कंपनी द्वारा इस अनुमोदन के पश्चात 30 दिन से अधिक समय लिए बिना आम बैठक में वितरित करना होगा। आम बैठक में अनुमोदित किए जा रहे इस प्रकार के शेयर पर लाभांश का अधिकार निहित होगा प्रत्येक शेयर पर लाभांश का भुगतान करना होगा, जो कंपनी में दर्ज की हुई तारीख से पंजीकृत होगा। इस प्रकार के किसी भी लाभांश की पात्रता का निर्धारण करने की दर्ज तारीख उस लाभांश की सिफारिश के लिए आम बैठक की तारीख से 30 दिन पहले की होगी।

20.2 पहले से ही चुकाई गई पूंजी पर लाभांश और ब्याज लेना

प्रदान किया जाता है कि जब किसी भी शेयर के लिए मांगे जाने से पहले ही पूंजी का भुगतान किया जाता है तो उसके मूल पर समान रूप से ब्याज लेगा, इस पूंजी पर चक्रवृद्धी ब्याज नहीं होगा, लाभ में भागित होने के अधिकार के लिए बातचीत करें।

20.3 लाभांश केवल लाभ पर ही भुगतानित होगा

वर्ष में लाभ के अलावा किसी पर भी लाभांश नहीं दिया जाएगा या केवल अधिनियम की धारा 123 में दिए गए लाभ को छोड़कर किसी भी अन्य अवितिरित लाभ पर।

20.4 भुगतान की गई राशि के अनुपात में लाभांश

सभी लाभांश विभाजित होंगे एवं भुगतान की जाने वाली राशि के अनुपात पर ही दिया जाएगा या शेयर के किसी भी भाग के दौरान शेयर के रूप में जमा होगा या जिसके संबंध में लाभांश को भुगतान करना है, उस भाग के दौरान, किन्तु यदि कोई भी शेयर शर्तों पर जारी किया जाता है तो प्रदान करता है कि यह एक निश्चित तारीख से लाभांश को श्रेणीबद्व किया जाना होगा, ऐसे शेयर उपरोक्तानुसार लाभांश के लिए श्रेणीबद्व किये जाने होंगे।

20.5 अंतरिम लाभांश

समय-समय पर निदेशक अपने फैसलें के रूप में सदस्यों को इस प्रकार के अंतरिम लाभांश का भुगतान करने की सिफारिश कर सकते हैं, जो कंपनी की स्थिति का ब्यौरा देती है।

20.6 ऋणों की कटौती की जा सकती है

शेयर जिन पर कंपनी का अधिकार है उन पर भुगतान किए जाने वाले किसी भी लाभांश को निदेशक नियुक्त कर सकता है, एवं उसके लिए आवेदन कर सकता है या ऋण की संतुष्टि की दिशा में, जिसके संबंध में धारणा उत्पन्न हुई है उनके लिए देनदारियां या वचनबद्वता।

20.7 लाभांश एवं बोली के एक साथ चलने की अनुमति

किसी भी आम बैठक में घोषित किया गया लाभांश जैसा कि बैठक में निश्चित हो सदस्यों को उस राशि के लिया बुलाया जा सकता है, किन्तु उसके लिए प्रत्येक सदस्य को बुलाना उनको भुगतान किए जाने वाले लाभांश को नहीं बढ़ा सकता है, और इसलिए बोली का भुगतान भी लाभांश का भुगतान करते समय किया जा सकता है, यदि कंपनी एवं सदस्य के बीच ऐसी व्यवस्था की जाती है तो बोली या कॉल के एवज में दिया जा सकता है। इस अनुच्छेद के तहत कॉल एक वार्षिक आम बैठक का सामान्य व्यापार समझा जाएगा जो एक लाभांश घोषित करेगा।

20.8 हस्तांतरण का प्रभाव

शेयरों का हस्तांतरण उन पर घोषित होने वाले लाभांश का अधिकार नहीं देगा, ऐसे हस्तांतरण के बाद किन्तु हस्तांतरण के पंजीकरण से पहले।

20.9 कुछ मामलों में अवरोधन

निदेशक भुगतान किए जाने वाले लाभांश को रोक सकता है जिसके संबंध में कोई व्यक्ति, हस्तांतरण शर्तों के तहत है, एक सदस्य बनने का हकदार है कोई भी व्यक्ति जो उस अनुसूची के तहत है वह उस व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत है जो उस शेयर के लिए सदस्य बनने के लिए पात्र है और उसको वह हस्तांतरित किया जा सकेगा।

20.10 किसी भी सदस्य को लाभांश प्राप्त नहीं होगा जब यह कंपनी द्वारा कर्ज के तौर पर हो और इसके परिणामस्वरूप इसकी पुनर्अदायगी का अधिकार इसके समक्ष हो

किसी भी सदस्य को उसके शेयर या शेयरों के मामले में किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा लाभांश को प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी, यदि उसके पक्ष में कोई राशि बकाया हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर अथवा संयुक्त तौर पर किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के साथ और निदेशक ऐसी राशि को सदस्य के उसके ब्याज अथवा भुगतान योग्य लाभांश से कटौती कर सकता है, ऐसी सभी राशियों को जो उसके पक्ष में कंपनी को देय / बकाया हो।

20.11 संयुक्त धारक के लिए लाभांश

कई व्यक्तियों में से कोई एक को जो किसी भी शेयर में पंजीकृत है, उस शेयर से संबंधित लाभांश के खाते पर सभी लाभांश एवं भुगतान के लिए प्रभावित प्राप्तियों को देना होगा।

20.12 लाभांश का भुगतान

(i) अन्यथा जब तक निर्देशित नहीं है, कोई भी लाभांश इलेक्ट्रोनिक तरीके से या चैक या पात्र व्यक्ति या सदस्य पंजीकृत पते पर डाक के माध्यम से वारंट भेजकर या संयुक्त धारक के मामले में उस व्यक्ति जिसका नाम पहले पंजीकृत किया गया है उसके पंजीकृत पते पर, संयुक्त धारिता के संबंध में; एवं प्रत्येक चैक या वारंट उस व्यक्ति के नाम से ही भुगतानित होगा, जिसके नाम से भेजा गया है। रुग्ण सदस्यों के कई प्रबंधक या प्रशासनिक हैं जिनका किसी भी शेयर में एक मात्र नाम मौजूद है इस अनुसूची के उद्देश्य के लिए संयुक्त धारक समझे जाऐंगें। भेजने पर गुम होने पर कंपनी किसी भी चैक या वारंट के लिए जिम्मेदार नहीं होगी अथवा उसके लिए पात्र सदस्य या व्यक्ति के द्वारा किसी भी फर्जी खोए जाने वाले लाभांश के लिए गलत लिखावट या किसी भी अन्य प्रकार से कोई भी धोखे से की गई वसूली के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।

(ii) कंपनी को लाभांश का भुगतान करना होगा तथा पात्र शेयरधारक को लाभांश घोषित होने के 30 दिनों के अंदर - अंदर लाभांश का भुगतान करेगा अथवा इसके संबंध में वारंट भेजना होगा, अन्यथा वहाँ व्याप्त किसी भी कानून के संचालन की वजह से लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सका हो। जहां शेयरधारक द्वारा लाभांश के भुगतान के संबंध में निर्देश दिया गया हो और उन निर्देशों का पालन किया नहीं जा सका हो।

(iii) जहां पर लाभांश को प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में विवाद है।

(iv) जहां पर कंपनी द्वारा शेयरधारकों के बकाया किसी भी राशि पर लाभांश कानूनी तौर पर समायोजित किया जाता है; या

(v) जहां पर अन्य किसी भी कारण के लिए, निर्धारित समय के अंदर लाभांश का भुगतान करने या वारंट को पोस्ट करने में विफल रहते हैं तो ये कंपनी की तरफ से कोई चूक नहीं मानी जाएगी।

20.13 बिना दावे का लाभांश

(i) यदि कंपनी ने लाभांश घोषित कर दिया, किन्तु जिसको घोषित करने के दिन से 30 (तीस) दिनों के अंदर लाभांश के हकदार शेयरधारक को भुगतान नहीं किया, तो बताए गए समय 30 (तीस) दिनों के समाप्त होने से 7 (सात) दिनों के अंदर उसके नाम पर किसी भी अनुसूचित बैंक में विशेष खाता खोलकर उस बिना दावे के लाभांश की राशि को खोले गए खाते में जमा करना होगा।

(ii) कंपनी के बिना दावे के लाभांश के लिए कोई भी रकम का हस्तांतरण जिसका भुगतान नहीं किया गया है या उस हस्तांतरण की तारीख से 7 वर्ष तक की अवधि के लिए भी बिना दावे का ही है, तो कंपनी को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित करना होगा; सामान्य राजस्व खाते के लिए हस्तांतरित किसी भी राशि के लिए किया दावा शेयरधारकों जिनके लिए रकम बाकी है द्वारा केन्द्र सरकार को पसंद किया जा सकता है। कोई भी बिना दावे का लाभांश जब्त नहीं होगा जब तक कि कानून द्वारा उसकी दावेदारी की मियाद खत्म नहीं हो जाती।

21. आरक्षित एवं मूल्यह्रास निधि

कानून की अनुमति द्वारा एक सीमा तक कंपनी अतिरिक्त वित्त बढ़ा सकती है शामिल है साधनों के द्वारा किन्तु सीमित नहीं होने हेतु (i) मूल्यह्रास निधि (ii) ऋण एवं सब्सिडी (iii) जमा द्वाराः ऐसे अतिरिक्त फंड कंपनी द्वारा उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते है जो बोर्ड को सही लगते हैं लेकिन संयुक्त समझौते के तहत कंपनी के उद्देश्यों में निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं हैं।

21.1 आरक्षित फंड

समय-समय पर, किसी भी लाभांश की सिफारिश के पहले, कंपनी आकस्मिक व्यय या किसी भी लाभ, देनदारियों व अन्य उत्तरदायित्वों के तरलीकरण का पूरा करने के लिए निदेशक आरक्षित फंड

के रूप में कंपनी के लाभ के ऐसे हिस्से को जो उन्हे सही लगता है अलग से सुरक्षित रखते हैं, लाभांश के समीकरण के लिए या कंपनी की किसी भी संपत्ति के सुधार, सुधार एवं रखरखाव के लिए और कंपनी के हित के लिए अनुकूल हेतु निदेशकों के उनके पूर्ण विवेक सोच के अनुसार कंपनी के ऐसे कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए। कंपनी के शेयर के अलावा इस तरह के निवेश पर निदेशक अलग से कई राशि का निवेश करते हैं, जैसा उनको उचित प्रतीत होता है और, कंपनी के हित के लिए समय-समय पर ऐसे निवेश का उपयोग करते हैं एवं उसके एवज पूरी राशि या उसके कुछ हिस्से को खत्म कर देते हैं। आरक्षित फंड के पूरे हिस्से या उसके किसी एक भाग को अन्य आरक्षित फंड या आरक्षित फंड के विभाग में हस्तांतरित करने की पूरी शक्ति के साथ, जैसा उनको उचित प्रतीत होता है निदेशक आरक्षित फंड को कुछ विशेष निधि में विभाजित कर सकती हैं और पूरी शक्ति के साथ कंपनी के व्यापार में आरक्षित फंड या उसके किसी भी हिस्से को इकट्ठा कर सकते हैं, अन्य संपत्ति से अलग से एवं उसके ऊपर बिना कोई ब्याज का भुगतान करके है। यद्वपि बोर्ड अपने विवेकानुसार इस फंड से जो दर बोर्ड को पर्याप्त लगती है उस पर भुगतान या जमा करने की अनुमति दे सकते हैं।

21.2 मूल्यह्रास निधि

समय-समय पर, किसी भी लाभांश की सिफारिश के पहले, कंपनी की प्रोपर्टी और कंपनी के निवेश में कोई मूल्यह्रास, आग से जलने एवं क्षति होने पर, बाढ, तूफान, आंधी, भूकंप, दुर्घटना, दंगा, टूट फूट या अन्य जो भी कारणो के लिए रिपेयरिंग, कांट छांट और कंपनी की संपत्ति को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए,या इमारतों, मषीनों एवं कंपनी की अन्य संपत्ति को बढ़ाने के लिए लाभांश या ऐसी किसी भी रकम को निदेशक द्वारा निवेश किया जाता है एवं इस प्रकार के निवेश के लिए उनके द्वारा संरक्षित की गई राशि को कार्यषील पूंजी के रूप में चुना जाता है या किसी भी बैंक में जमा रखा जाता है, इसके अलावा निदेशकों को समय-समय पर उचित लगने के लिए।

21.3 धन का निवेश

सभी धन क्रमशः किसी भी आरक्षित फंड और मूल्यह्रास निधि में ले जाना होगा, फिर भी बना रहेगा एवं कंपनी के लाभ पर भी लागू होगा, लाभांश का भुगतान करने के लिए वास्तविक नुकसान या मूल्यह्रास के देय उपबंधों को बनाए रखने की स्थिति में, और कंपनी का इस प्रकार का धन एवं

अन्य धन निदेशकों द्वारा ऐसे निवेश या प्रतिभूतियों पर निवेश करते हैं जो उनके द्वारा चुनी जाती है या कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग की जाती है या किसी भी बैंक में जमा के रूप में रखी जाती है, अथवा इसके अलावा जैसा कि निदेशकों को समय-समय पर उचित लगने पर।

22. पूंजीकरण

अधिनियम की धारा 63 के प्रावधान के अनुसार, बोर्ड की सिफारिषों पर कंपनी आम बैठक में कर सकती है कि कुछ समय के लिए कंपनी के ऋण खाते से किसी भी ऋण के लिए तैयार रहने के के लिएया लाभ और हानि खाते में जमा करने के लिए या इसके अलावा विस्तार के लिए उपलब्ध रहने हेतु पूंजी के किसी भी भाग को पूंजीकरण करना वांछनीय है। बोर्ड अनुच्छेद के अनुसरण में आम बैठक में कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव को लागू करेगा।

23 खाता एवं लेखा परीक्षा

23.1 लेखा परीक्षा समिति

अधिनियम की धारा 177 के अनुसरण में कंपनी का बोर्ड एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगा लेखापरीक्षा समिति में बहुमत गठन के स्वतंत्र निदेशकों के साथ न्यूनतम 3 निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित में निर्दिष्ट संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करेगा जिसमें अन्य बातें शामिल होंगीः

- कंपनी के लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं नियुक्ति की शर्तों के लिए संस्तुति;
- लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता एवं कार्यनिष्पादन एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं मूल्यांकन;
- वित्तीय विवरण एवं उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच;
- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन देन के अनुमोदन या बाद में किए गए कोई संशोधन;
- अंतर-कंपनी ऋणों एवं निवेश की जांच;

- जहां भी यह आवश्यक हो, कंपनी की संपत्तियों का मूल्यांकन;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
- सार्वजनिक प्रस्तावों एवं संबंधित मामलों से जुटाए गए धन का अंत में उपयोग करने की जांच।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा समिति अधिनियम की धारा 177 के तहत निर्धारित अन्य कार्यों को करेगी।

23.2 पुस्तकें जहां रखी जानी हैं

खाते की किताबें और अन्य किताबें और कागजों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या ऐसी अन्य जगह जो बोर्ड के निदेशकों को उचित लगती है और कार्यालयीन समय के दौरान किसी भी निदेशक या अधिनियम द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति के लिए निरीक्षण हेतु खुली रखनी होगी।

23.2 खाते की बहियों का संरक्षित रखा जाना

कंपनी के खाते की किताबें जो तुरंत के चालू और पूर्ववर्ती आठ से कम वर्ष की अवधि से संबंधित नहीं है को उस खाते की किताब की किसी भी लिखावट से संबंधित वाउचर के साथ अच्छी हालत में संरक्षित किया जाएगा। समय-समय पर बोर्ड के निदेशक निर्धारित करेंगें चाहे, एवं किस सीमा तक एवं किस समय और स्थान पर एवं किस स्थिति या नियमों के तहत कंपनी के खाते एवं किताबें एवं दस्तावेज या उनसे संबंधितों को सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा, एवं केवल कानून द्वारा प्रदत्त या बोर्ड के निदेशकों या कंपनी की आम बैठक में प्रस्तावित द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को कंपनी के किसी भी खाते की निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है।

23.4 खाते का लेन देन आम बैठक में प्रस्तुत करना होगा

वित्तीय वर्ष के अंत के लिए कंपनी के वित्तीय वर्ष का एक लाभ एवं हानि खाता एवं बैलेंस शीट बोर्ड के निदेशक द्वारा प्रत्येक वार्षिक आम बैठक के पहले प्रस्तुत की जानी होगी, जिसमें एक तारीख होगी जो बैठक के छः माह से भी अधिक के पहले के दिन की नहीं होगी, या अधिनियम के उपबंधों

के तहत कंपनी के रजिस्ट्रारों द्वारा समय बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो उस विस्तार की तारीख तक।

23.5 तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाता

(i) अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाता अधिनियम की अनुसूची III के द्वारा निर्धारित भाग I भाग II के अनुसार होगा, अथवा जितना हो सके उतना परिस्थितियों को स्वीकार करें अथवा ऐसा कोई अन्य प्रारूप में जो केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(ii) जब तक कंपनी के पास एक सहायक है, तो कंपनी को अनुसूची 129 एवं अधिनियम के अन्य लागू उपबंधों के अनुसार पुष्टि करनी होगी।

(iii) यदि बोर्ड की राय में, कंपनी की वर्तमान संपत्ति के पास व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम की प्राप्ति की कीमत नहीं है, बोर्ड द्वारा जो राशि द्वारा बताई गई है उसी राशि के बराबर होगी, बल्कि बोर्ड की राय के मुताबिक भी होगी।

23.6 तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते की प्रमाणीकरण

(i) कंपनी का प्रत्येक तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते को, बोर्ड के निदेशकों की तरफ से, सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और बोर्ड के दो निदेशकों से कम नहीं होगें।

(ii) यह उल्लेख किया जाता है कि कुछ समय के लिए केवल एक ही निदेशक भारत में है, ऊपर के खंड (i) के उपबंधों के साथ गैर अनुपालन के कारणों की व्याख्या करते हुए तुलनपत्र एवं लाभ हानि खाते को उसके द्वारा हस्ताक्षर किए हुए स्टेटमेन्ट के साथ संलग्न किया जाना होगा।

(iii) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते को बोर्ड के निदेशकों की तरफ से हस्ताक्षर करने से पहले एवं उन पर उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसे लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत करने के पहले बोर्ड के निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा,

23.7 लाभ हानि खाता एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को तुलन पत्र के साथ अंत में संलग्न करना होगा

लाभ हानि खाता को तुलन पत्र के साथ अंत में जोड़ना होगा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (लेखापरीक्षकों की अलग से, विशेष या कोई अनुपूरक रिपोर्ट यदि कोई है तो उसके सहित) को उसके साथ संलग्न किया जाएगा।

23.85 बोर्ड की रिपोर्ट तुलन पत्र के साथ संलग्न करना

(i) कंपनी के मामलों के संदर्भ में बोर्ड के निदेशकों द्वारा संबंधित तुलन पत्र से आरक्षित यदि कोई राशि है तो जो यह प्रस्तावित करती है, राशि जो लाभांश के रूप में भुगतान करने के लिए प्रस्तावित की गई है यदि कोई है तो, बदली गई सामग्री एवं प्रतिबद्वता यदि कोई है तो जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है एवं जो कंपनी की वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान घटित होती है जिसके लिए तुलन पत्र निकाली गई है और रिपोर्ट की तारीख के साथ रिपोर्ट को प्रत्येक तुलन पत्र के साथ संलग्न कर कंपनी की आम बैठक में कंपनी समक्ष रखना होगा।

(ii) रिपोर्ट जहां तक हो सके कंपनी के मामलों में इसके सदस्यों द्वारा यह प्रशंसा की सामग्री हो, और बोर्ड की राय में कंपनी के व्यापार या उसकी किसी भी सहायक कंपनीयों के लिए नुकसानदेह नहीं होगी, कंपनी की सहायक इकाईयों में कंपनी के व्यापार की प्रकृति में किसी भी परिवर्तन के साथ सौदे जो वित्तीय वर्ष के दौरान घटित हुए या उनके द्वारा किए जा रहे व्यापार की प्रकृति में और आमतौर पर व्यापार की श्रेणियां, जिनमें कंपनी की रुचि है।

(iii) बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में पूरी जानकारी एवं स्पष्टीकरण भी देना होगा, या अधिनियम की धारा 129 के उपबंधों के तहत रिपोर्ट की परिशिष्ट में आने वाले मामलों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निहित प्रत्येक आरक्षण, योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी।

(iv) बोर्ड की रिपोर्ट एवं यदि कोई परिशिष्ट है तो उस पर उसके अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर होंगे यदि वह बोर्ड द्वारा उसके लिए अधिकृत है, और जहां पर वह इसके लिए अधिकृत नहीं है, तो

अनुच्छेद 23.6 के आधार पर निदेशकों की उस संख्या द्वारा हस्ताक्षर किए जाने होंगे जो कंपनी के तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते के लिए आवश्यक हैं।

(v) इस अनुच्छेद के खंड (i) से (iii) के उपबंधों का पालन करने के साथ बोर्ड को किसी भी व्यक्ति के कर्तव्यों को देखने के लिए फीस लेने का अधिकार होगा। ऐसे व्यक्ति का निदेशक होना आवश्यक नहीं है।

23.9 लेखापरीक्षा होने वाले खाते

(i) नियुक्त किए जाने वाले एक या अधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते को लेखा परीक्षित किया जाएगा जैसा कि बाद में उल्लेख किया गया है।

(ii) जितनी जल्दी संभव हो लेकिन 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक के बाद, उस वित्तीय वर्ष को देखते हुए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए खाते की किताब, दस्तावेजों एवं मामलों की एक वार्षिक लेखा परीक्षा करनी होगी, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के खाते के संबंध में जानकारी बोर्ड एवं प्रत्येक शेयरधारकों को प्रस्तुत करनी होगी।

23.10 लेखा परीक्षक

प्रत्येक वर्ष की वार्षिक आम बैठक में कार्यालय को चलाने के लिए उस बैठक के समापन से लेकर अगली वार्षिक आम बैठक तक कंपनी एक लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों को नियुक्त करेगी, और धारा 139 के उपबंधों एवं इससे संबंधित अन्य उपबंधों का अनुपालन करेगा। अधिनियम के प्रावधान के अधीन, इनको प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा फर्म द्वारा इनको नियुक्त कर कंपनी हल कर सकती है, लेखापरीक्षा करने वाले साथी एवं उनकी टीम ऐसे अंतराल पर परिवर्तित होंगे जिससे इन्हें हल किया जा सके और लेखापरीक्षा एक से अधिक लेखापरीक्षक द्वारा संचालित होगी।

23.11 लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

किसी भी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को छोड़कर कंपनी के लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में तय किया जाएगा, अधिनियम की धारा 142 के उपबंधों के अनुसार निदेशकों द्वारा तय किया जा सकता है।

23.12 लेखा परीक्षकों की शक्ति एवं कर्तव्य

कंपनी के लेखा परीक्षकों की शक्ति एवं कर्तव्य अधिनियम की धारा 143 के अधीन निर्धारित किए जाएंगें।

23.13 शाखा कार्यालयों की लेखापरीक्षा

कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों की लेखापरीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी छूट की सीमा को छोड़कर, अधिनियम की धारा 143 के उपबंधों का अनुसरण करेगी, अधिनियम की धारा 143 एवं 204 के उपबंधों के तहत एक सचिवीय लेखापरीक्षा भी की जाएगी।

23.14 लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को पढ़ना एवं निरीक्षण

लेखा परीक्षक रिपोर्ट को कंपनी के समक्ष आम बैठक में पढ़ा जाएगा और कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

23.15 कंपनी द्वारा सदस्यों पर दस्तावेजों का उपयोग

(क) कंपनी द्वारा उनके किसी भी सदस्य पर किया जाने वाला एक दस्तावेज (जो होगा, इस उद्देश्य के लिए, किसी भी सम्मन, मांग, प्रक्रिया, आदेश, निर्णय या कंपनी को बंद करने से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज) या नोटिस, जो या तो व्यक्तिगत या डाक द्वारा या ई-मोड से उसके पंजीकृत पते पर भेजना होगा, यदि भारत में है या यदि उसके द्वारा विदेश की जानकारी कंपनी को दी जाती है तो विदेश में।

(ख) एक दस्तावेज या नोटिस डाक को कहां भेजना है:-

(i) एक पत्र में निहित दस्तावेज या नोटिस में उसकी सेवा उचित संबोधन, तैयारी एवं प्रविष्टि द्वारा प्रभावित समझी जाएगी, प्रदान किया जाता है कि, जहां पर एक सदस्य को कंपनी द्वारा पहले से ही सूचित कर दिया जाता है, कि उसके द्वारा दस्तावेज डाक प्रमाणपत्र या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने होंगे, पावती के साथ या बिना, और कंपनी के पास यह करने के लिए पर्याप्त राशि जमा की गई है, दस्तावेज की सेवा या

नोटिस तब तक प्रभावित नहीं समझी जाएगी जब जक कि सदस्य द्वारा बताए गए तरीके में नहीं भेज दी जाती है, और

(ii) ऐसी सेवा को प्रभावित हुआ समझा जाएगा; एक बैठक के नोटिस के मामले में युक्त पत्र को बहत्तर (72) घंटे की समाप्ति के बाद उसको पोस्ट किया जाता है; और अन्य कोई मामले में, उस समय पत्र को साधारण डाक से भेजा गया है।

(ग) कंपनी द्वारा शेयर के संयुक्त धारक को भी एक दस्तावेज या नोटिस भेजा जा सकता है, शेयर के संबंध में पहले से ही संयुक्त धारक के नाम के पंजीकरण पर भेजकर।

(घ) एक सदस्य की मौत या दिवालिया होने पर, कंपनी द्वारा दस्तावेज या नोटिस शेयर के लिए पात्र व्यक्ति को भेज सकती है, उनके द्वारा प्रीपेड पत्र में दिए गए नाम पर डाक द्वारा इसको भेजकर, या मृतक के प्रतिनिधियों के टाइटल द्वारा या दिवालिया होने पर प्रदान किए गए या उसके किसी भी तरह के विवरण, पते पर, यदि कोई है, भारत में इस प्रयोजन के लिए पात्र व्यक्तियों द्वारा यह दावा किया जा रहा हो या किसी भी तरह से दस्तावेज या नोटिस द्वारा जब तक ऐसा पता प्रदान नहीं कर दिया जाता जिसमें यह सूचित किया जाना हो, यदि मृत्यु या दिवालिया नहीं हुआ है।

(ङ) कंपनी द्वारा दिए जाने वाले किसी भी दस्तावेज या नोटिस पर हस्ताक्षर लिखित या छपे हुए या लिथोग्राफ किए हुए हो सकते हैं।

23.16 विज्ञापन द्वारा

समाचार पत्र में विज्ञापित एक दस्तावेज या नोटिस जो कंपनी के नजदीकी पंजीयक कार्यालय में परिसंचारित है, को विधिवत रूप से प्रस्तुत किया समझा जाएगा या जिस दिन विज्ञापित हुआ उसी दिन भेजा जाएगा, भारत में प्रत्येक सदस्य जिनका पंजीकृत पता नहीं है और भारत के अंदर उनको दस्तावेज प्रस्तुत करने या नोटिस भेजने के लिए कंपनी को कोई पता प्रदान नहीं किया गया है।

23.17 व्यक्तिगत प्रतिनिधियों को दस्तावेज प्रदान करना, इत्यादि

एक सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने पर एक शेयर के लिए पात्र व्यक्ति को कंपनी द्वारा दिए या प्रस्तुत दस्तावेज को या नोटिस को उनके प्रीपेड पत्र के नाम के पते पर या मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि के टाइटल, दिवालिया होने वाले के संपत्ति-भागी, या अन्य किसी विवरण द्वारा भारत में पते पर पात्र व्यक्ति के दावा करने पर प्रदान किया जाएगा, अथवा यदि मृत्यु या दिवालिया नहीं हुई है तो तब तक किसी भी तरीके में उस पते को दस्तावेज या नोटिस द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा जिसमें एक-समान ही दिया गया होना चाहिए।

23.18 कंपनी को दस्तावेज प्रदान करना

एक दस्तावेज एक कंपनी या उसके एक अधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर डाक द्वारा डाक प्रमाणपत्र या पंजीकृत डाक के तहत कंपनी को उसके कॉर्पोरेट कार्यालय में एक प्रतिलिपि भेजने के साथ या इसको इसके पंजीकृत या कॉर्पोरेट कार्यालय में छोड़कर कंपनी या अधिकारी को भेजकर।

24. क्षतिपूर्ति

अधिनियम की धारा 201 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी का प्रत्येक निदेशक, अध्यक्ष, अधिकारी या नौकर कंपनी के विपरीत कृत्य के लिए क्षतिपूरक होगा, और निदेशक का कर्तव्य यह होगा, कंपनी के फंड में से सभी लागतों, शुल्कों, घाटों एवं खर्चों का भुगतान किया जाए, जिसको वे अधिकारी या नौकर उसको खर्च करते हैं और जिम्मेदार हैं, उसमें प्रविष्ट किसी भी अनुबंध के कारण से, अथवा अधिकारी या नौकर या उसकी ड्यूटी के खत्म होने के दौरान उसके द्वारा किया गया कार्य, खर्चे सहित एवं, विशेष रूप से, और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता की सीमा को ऐसा नहीं करने के लिए, किसी भी कार्यवाही के बचाव में निदेशक, अध्यक्ष, अधिकारी या नौकर के रूप में उसके द्वारा वहन की गई सभी जिम्मेदारियों के बदले, चाहे वह दीवानी हो या फ़ौजदारी हो जिसमें उसके पक्ष में निर्णय गया है या उसको बरी कर दिया गया है, अधिनियम की धारा 633 के तहत किसी भी आवेदन के संबंध में जिसमें न्यायालय द्वारा राहत स्वीकृत की गई है, और राशि, यदि कोई है, तो उसे कंपनी की संपत्ति पर एक अधिकार के रूप में मानी जाएगी।

25. समाप्त करना

25.1 परिसंपत्तियों का वितरण

यदि कंपनी समाप्त हो जाती है, और उपलब्ध परिसंपत्तियों का सदस्यों के बीच वितरण करने के लिए जैसा कि चुकता करने वाली पूरी पूंजी को चुकाना अपर्याप्त हो तो इसके लिए उन परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा, चुकता करने वाली पूंजी के अनुपात में या समापन के पहले उनके द्वारा धारित शेयरों पर जिसका भुगतान किया जाना चाहिए, जितना हो सके उतना, घाटे को सदस्यों द्वारा वहन किया जाता है। और यदि समापन में, सदस्यों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियां समापन के पहले चुकता की जाने वाली पूरी पूंजी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है, अतिरिक्त को सदस्यों के बीच पूंजी के अनुपात में वितरित किया जाएगा, समापन के प्रारंभ में, उनके द्वारा धारित शेयरों पर भुगतान की होगी अथवा अनविार्य रूप से भुगतान की जानी चाहिए। किन्तु यह अनुच्छेद का शेयरधारक के विशेष नियम व शर्तों पर जारी अधिकार के किसी पक्षपात के बिना बनाता और लागू करता है।

25.2 नगदी या वस्तुओं में वितरण

(i) यदि कंपनी समाप्त की जाती है, चाहे इच्छापूर्वक अथवा अन्य कारण से, विशेष प्रस्ताव पारित करने के साथ परिसमापक कंपनी की परिसंपत्ति के किसी भी हिस्से को सहायकों के बीच नगदी और वस्तुओं में विभाजित कर सकते हैं और मंजूरी के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के किसी भी हिस्से को सहायकों के हित के या मंजूरी के साथ जैसा कि परिसमापक को उचित लगता है, ऐसे न्यासों के न्यासियों में पंहुचाया जा सकता है।

(ii) यदि त्वरित निधि के माध्यम से, किसी भी ऐसी इकाई, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, अन्य की अपेक्षा सहायकों के कानूनी अधिकार के अनुसार, किसी श्रेणी को प्रमुखता दी जा सकती है या विशेष अधिकार या दोनों को एक साथ हटाकर या किसी भी हिस्से में किन्तु यदि कोई भी भाग अन्य की अपेक्षा सहायकों के कानूनी अधिकार के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं, किसी भी सहायकों पर जो इस तरह के पक्षपात के लिए होगा उसके पास असहमति का अधिकार और सहायक का अधिकार होगा, जैसा कि यदि ऐसे निर्धारण अधिनियम की धारा 494 के आधार पर विशेष प्रस्ताव पारित करके उत्पन्न हुए हैं।

(iii) यदि किसी मामले में उपरोक्तानुसार कोई भी शेयरों का विभाजन किया जाता है, बुलाने की एक जिम्मेदारी या अन्यथा, उस इकाई के तहत वर्णित शेयर के लिए कोई भी व्यक्ति पात्र हो सकता है, विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद दस (10) दिनो के अंदर, लिखित में सूचना द्वारा, परिसमापक को सीधे ही उसके शेयर बेचने एवं उसे शुद्व आय का भुगतान करने के लिए और परिसमापक, यदि व्यावहारिक है, उस प्रकार का व्यवहार करेंगें।

23.3 विक्रय करने के मामले में शेयरधारकों के अधिकार

किसी भी अन्य कंपनी को विशेष प्रस्ताव पारित करके, विधिवत तौर पर अधिनियम की धारा 494 के अधीन पारित किया गया हो, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार हो सकता है, ऊपर बताए गए तरीकों के अनुसार, निर्धारित करता है कि कोई भी शेयर या परिसमापक द्वारा प्राप्त अन्य विचार सदस्यों के बीच वितरित करने होगें, अन्य की अपेक्षा उनके मौजूदा अधिकारों के अनुसार एवं ऐसे कोई भी निर्धारण वर्णित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त असहमति के अधिकार एवं परिणामी अधिकार सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होंगे।

26. गोपनीयता की शर्त

(i) कंपनी के व्यापार में नियुक्त प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव, लेखापरीक्षक, खजांची, न्यासी, समिति का सदस्य, अधिकारी, नौकर, अभिकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति, यदि निदेशकों द्वारा आवश्यक हो, उन्हें ड्यूटी में प्रवेश करने से पहले ग्राहक एवं व्यक्ति से संबंधित जानकारी के साथ कंपनी के सभी लेन-देन एवं मामलों से संबंधित कड़ी गोपनीयता के लिए स्वंय को वचनबद्व करके एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें, एवं उस घोषणापत्र के द्वारा स्वंय को किसी भी मामले को प्रकट नहीं करना होगा जो उसकी ड्यूटी के खत्म होने बाद संज्ञान में आता है, केवल जब निदेशकों द्वारा या कानून द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिससे वह मामला संबंधित है ऐसा करने को कहा जाए को छोड़कर एवं जब तक कि प्रस्तुत निहितों के किसी भी उपबंधों के साथ आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक हो, को छोड़कर।

(ii) निदेशक की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कंपनी के किसी भी कार्य का निरीक्षण करने या दौरा करने के लिए पात्र नहीं होगा या खोज की आवश्यक या कंपनी के व्यापार से संबंधित किसी भी विवरण की कोई भी जानकारी, या कोई भी मामला जो व्यापार की

गोपनीयता, व्यापार के रहस्य, गोपनीय प्रक्रिया या अन्य कोई मामला जो कंपनी के व्यापार के संचालन से संबंधित है, की प्रक्रति का हो सकता है और जो निदेशकों की राय में, यह बेमतलब कंपनी के लाभ का खुलासा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

हम, इन अनुच्छेदों के अनुसरण में कई व्यक्ति, जिनके नाम एवं पते यहाँ दिए गए हैं एवं कंपनी के गठन करने के लिए इच्छुक है, और हम हमारे दिए गए नाम के विपरीत कंपनी की पूंजी में शेयरों की संख्या लेने के लिए राजी हैं।

भुगतानकर्ताओं (अभिदाता) का नाम, पता, विवरण एवं व्यवसाय	**भुगतानकर्ता (अभिदाता) के हस्ताक्षर**	**गवाहों के नाम, पता, विवरण एवं व्यवसाय**
1. राज्य सरकार के प्रतिनिधि 2. यूएलबी के प्रतिनिधि 3. सहायक निकाय के प्रतिनिधि 4. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि 5. 6. 7.		

दिनांकः